

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 381]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 4, 2015/अग्रहायण 13, 1937

No. 381]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 4, 2015/AGRAHAYANA 13, 1937

स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद

प्रधान कार्यालय : गनफाउंड्री, हैदराबाद

अधिसूचना

हैदराबाद, 1 दिसम्बर, 2015

फा. सं.बीएम सं : 2015-16/395 (मद-1).—स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद का निदेशक बोर्ड, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) की धारा 63 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसबीएस संख्या 3/59 तारीख 30 सितंबर, 1959 द्वारा प्रकाशित समनुषंगी बैंक साधारण विनियम, 1959 को उन बातों के सिवाए अधिक्रमित करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है अधिक्रमित करते हुए भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से तथा केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से एतत् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

अध्याय 1

परिचायक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ,—(1) इन विनियमों को स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद साधारण विनियम, 2015 कहा जाएगा।

(2) ये उनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—(1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,—

(क) "अधिनियम" से भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) अभिप्रेत है ;

(ख) "बोर्ड" से समनुषंगी बैंक का निदेशक बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ग) "अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के खंड (क) में यथाविनिर्दिष्ट किसी अनुषंगी बैंक के निदेशक बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(घ) "कंपनी" से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (20) में यथापरिभाषित कोई कंपनी, या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन निगमित निगमित निकाय जब तक कि विषय या संदर्भ के प्रतिकूल कोई बात न हो, अभिप्रेत है, इसके अंतर्गत सहकारी सोसाइटी भी है ;

- (ड) "कार्यपालक समिति" से विनियम 47 के अधीन गठित बोर्ड की कार्यपालक समिति अभिप्रेत है ;
- (च) "अनुपंगी बैंक के प्रति ऋणग्रस्तता" से निम्नलिखित अभिप्रेत है—
- (i) ऋणों पर बकाया, जहां ऋणों का पूर्णतया संवितरण कर दिया गया है ;
- (ii) स्वीकृत ऋणों की अधिकतम रकम, जहां पूरी रकम का संवितरण नहीं किया गया हो ;
- (iii) घटे-बढ़ते खातों में अग्रिम की स्वीकृति के लिए सीमा, भले ही वास्तविक आहरण शक्ति निम्नतर हो ;
- (iv) मितिकाटे पर भुगतान किए गए आवधिक बिलों के कारण बकाया रकम और उधार लेने वाले से क्रय किए गए मांग बिल या उनके लिए स्वीकृत सीमा, जो भी उच्चतर हो ; और
- (v) वह रकम, जिनके लिए उधार लेने वाले की ओर से अनुपंगी बैंक द्वारा ऋण या अग्रिम के अधीन दायित्व स्वीकार किए गए हैं और स्वीकार किए गए बिलों या जारी साख पत्रों या दी गई गारंटियां या क्षतिपूर्तियां या उनके लिए स्वीकृत सीमाएं, जो भी अधिकतर हों किंतु इसके अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रतिभूति के विरुद्ध ऋणग्रस्तता शामिल नहीं है ;
- (छ) "ऋण या अग्रिम" के अंतर्गत आवधिक बिलों के मितिकाटे पर भुगतान के जरिए दी गई ऋण सुविधाएं, मांग बिलों का क्रय, बिलों को स्वीकार करना या साख पत्रों और गारंटियों या क्षतिपूर्तियों का जारी करना, शामिल है ;
- (ज) "प्रबंध निदेशक" से अधिनियम की धारा 29 के अधीन नियुक्त अनुपंगी बैंक का प्रबंध निदेशक अभिप्रेत है ;
- (झ) "नातेदार" अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट व्यक्ति से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत समय-समय पर बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति शामिल है ;
- (ञ) "भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड" से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अभिप्रेत है ;
- (ट) "भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड विनियम" से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अनुसार बनाए गए या जारी विनियम या मार्गदर्शक सिद्धांत अभिप्रेत है ;
- (ठ) "विनिर्दिष्ट प्रतिभूति" से निम्नलिखित कोई एक या अधिक प्रतिभूतियां अभिप्रेत है :
- (i) स्टॉक, निधियां और प्रतिभूतियां (जंगम संपत्ति से भिन्न) जिनमें कोई न्यासी तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन न्यास धन का विनिधान कर सकेगा ;
- (ii) किसी जिला बोर्ड, नगरपालिक समिति या अन्य स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या उसके निमित्त तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन जारी डिबेंचर या धन के लिए अन्य प्रतिभूतियां ;
- (iii) बोर्ड द्वारा जारी किए जा सकने वाले साधारण या विशेष निदेशों के अधीन रहते हुए ;
- (क) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन निगमों (कंपनियों से संबंधित किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनियों से भिन्न) के डिबेंचर और पूर्णतया संदत्त शेयर ; और
- (ख) भारत या ऐसे अन्य देश में जिसे केंद्रीय सरकार इस निमित्त अनुमोदित करे, कंपनियों से संबंधित किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत सीमित दायित्व कंपनियों के डिबेंचर ;
- (iv) अनुपंगी बैंक द्वारा उसके पास जमा रकमों के साक्ष्य या को उपदर्शित करते हुए जारी प्राप्तियां, प्रमाणपत्र या लिखतों को कोई अन्य प्रारूप ;
- (v) ऐसे माल (शेयरों या प्रतिभूतियों से भिन्न) जिन्हें अनुपंगी बैंक के पास जमा किया गया है या स्टेट बैंक के विशेष निदेशों से प्राधिकृत किया गया है, या अग्रिमों, ऋणों या प्रत्ययों के लिए अनुपंगी बैंक के पास प्रतिभूति के रूप में आडमान किया गया है ;
- (vi) अनुपंगी बैंक के पास अग्रिमों, ऋणों या प्रत्ययों के लिए प्रतिभूति के रूप में समनुदेशित मालों के हक दस्तावेज ;
- (vii) कोई अन्य प्रतिभूति, जिसे समय-समय पर स्टेट बैंक के परामर्श से बोर्ड द्वारा सामान्यतः या किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए या उधार लेने वालों के प्रवर्ग के लिए "विनिर्दिष्ट प्रतिभूति" विनिर्दिष्ट किया जाए ;
- (ड) "अनुपंगी बैंक" से स्टेट बैंक ऑफ अभिप्रेत है ;
- (ढ) "सारवान हित" का वही अर्थ होगा, जो उसका बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खंड (ढड) में है ।

(2) वे शब्द और पद, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो उनका क्रमशः अधिनियम में है।

अध्याय 2

शेयर और शेयर रजिस्टर

3. शेयर जंगम संपत्ति—अनुपंगी बैंक के शेयर जंगम संपत्ति होंगे, इन विनियमों में उपबंधित रीति में अंतरणीय होंगे।

4. शेयर पूंजी—(1) अनुपंगी बैंक की शेयर पूंजी साम्या शेयर पूंजी या साम्या और अधिमानी शेयर पूंजी से मिलकर बनेगी।

(2) साम्या शेयर पूंजी शेयर पूंजी का वह भाग है, जो अधिमानी शेयर पूंजी नहीं है।

(3) अधिमानी शेयर पूंजी अनुपंगी बैंक की शेयर पूंजी का वह भाग है, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, अर्थात् :--

(क) लाभांशों की बाबत इसमें एक नियत रकम संदत्त करने का अधिमानी अधिकार या नियत दर या प्लवमान दर पर संगणित रकम का अधिकार है, जो या तो आयकर से मुक्त या आयकर की शर्त के अधीन हो सकेगी ;

(ख) पूंजी की बाबत समापन होने पर पूंजी के पुनर्संदाय के लिए इसमें संदत्त पूंजी की रकम या संदत्त समझी गई रकम चाहे वहां निम्नलिखित रकमों में से किसी एक या दोनों के संदाय का अधिमानी अधिकार है, का पुनर्संदाय करने का अधिमानी अधिकार है या होगा, अर्थात् :--

(i) परिसमापन या पूंजी के पुनर्संदाय की तारीख तक खंड (क) में विनिर्दिष्ट रकमों की बाबत कोई धन, जो असंदत्त रहता है, और

(ii) स्टेट बैंक की पूर्व स्वीकृति से बोर्ड या कार्यपालक समिति द्वारा विनिर्दिष्ट किसी नियत स्केल पर नियत प्रीमियम या नियत प्रीमियम।

5. साम्या या अधिमानी शेयरों के निर्गम द्वारा निर्गम पूंजी में वृद्धि करने की प्रक्रिया—निर्गम पूंजी में वृद्धि करने की प्रक्रिया के साथ प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के सुसंगत विनियमों को निर्दिष्ट करते हुए अनुमोदित किया जाएगा, जिसे रिजर्व बैंक के परामर्श से अनुमोदन के लिए स्टेट बैंक और केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा :

परंतु अधिमानी शेयरों का निर्गम रिजर्व बैंक द्वारा विरचित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा।

6. शेयरों और रजिस्ट्रों पर नियंत्रण—(1) अधिनियम और इन विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए अनुपंगी बैंक के शेयर धारकों के रजिस्टर का अनुरक्षण बोर्ड या कार्यपालक समिति के द्वारा और उसके नियंत्रणाधीन होगा तथा बोर्ड या कार्यपालक समिति का इस बाबत विनिश्चय कि क्या या कोई व्यक्ति किसी शेयर की बाबत धारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत करने का हकदार है या नहीं, अंतिम होगा।

(2) विशिष्टता और पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बोर्ड या कार्यपालक समिति अनुपंगी बैंक को शेयर धारकों के रजिस्टर में प्रविष्टियों की बाबत जांच करने की और अंतरणों और पारेषणों को पास करने की या इंकार करने की और शेयरों के अंतरितियों का अनुमोदन करने की या अनुमोदन से इंकार करने की और शेयर प्रमाणपत्र देने की शक्ति होगी।

7. पक्षकार, जिन्हें शेयर धारकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जा सकेगा—(1) सिवाय इन विनियमों में अन्यथा उपबंधित के सभी व्यक्ति, जो संविदा करने के लिए सक्षम नहीं हैं, शेयर धारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के हकदार नहीं होंगे और इस संबंध में बोर्ड या कार्यपालक समिति का विनिश्चय निश्चायक और अंतिम होगा।

(2) भागीदारी फर्मों की दशा में शेयरों को व्यक्ति भागीदारों के नाम में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा और इस प्रकार कोई फर्म शेयर धारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने की हकदार नहीं होगी।

8. शेयर रजिस्टर में दर्ज की जाने वाली विशिष्टियां—(1) अधिनियम की धारा 21 में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अतिरिक्त, शेयर धारकों के रजिस्टर में निम्नलिखित विशिष्टियों को दर्ज किया जाएगा—

(i) प्रत्येक शेयर धारक द्वारा शेयर या शेयरों के अर्जन की रीति और सिवाय स्टेट बैंक को शेयरों के आवंटन की दशा में, पूर्ववर्ती धारक का नाम ;

(ii) क्या शेयर धारक शेयर धारकों के निम्नलिखित प्रवर्ग में से किसी एक से संबंध रखता है, अर्थात्, स्टेट बैंक या कोई अन्य अपशिष्ट प्रवर्ग ;

(iii) जब कोई व्यक्ति शेयर धारक नहीं रहता है तो उस व्यक्ति का नाम, जिसके पक्ष में शेयर या शेयरों को अंतरित किया गया है ; और

(iv) ऐसी अन्य विशिष्टियां, जिन्हें बोर्ड या कार्यपालक समिति विनिर्दिष्ट करें।

(2) शेयरों के संयुक्त धारकों की दशा में उनके नाम और उपविनियम (1) द्वारा अपेक्षित अन्य विशिष्टियों को ऐसे संयुक्त धारकों में से पहले के नाम के अधीन समुहित किया जाएगा।

(3) भारत से बाहर निवासी शेयर धारक अनुपंगी बैंक को भारत में कोई पता प्रस्तुत करेगा और ऐसे पते को रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा तथा इसे अधिनियम और इन विनियमों के प्रयोजन के लिए उसका रजिस्ट्रीकृत पता समझा जाएगा।

9. संयुक्त धारकों द्वारा अधिकारों का उपयोग—यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम में है तो रजिस्टर में नामित पहला व्यक्ति मतदान, लाभांशों की प्राप्ति, सूचनाओं की तामील और अनुपंगी बैंक से संबंधित सभी या किसी अन्य विषय सिवाय शेयरों के अंतरण और नामनिर्देशन करने के अधिकार के उनका एकमात्र धारक समझा जाएगा।

10. रजिस्टर का निरीक्षण—(1) अनुपंगी बैंक के शेयर धारकों का रजिस्टर, सिवाय जब इन विनियमों के उपबंधों के अधीन बंद हों, किसी शेयर धारक द्वारा निरीक्षण के लिए बिना किसी प्रभार के, उस स्थान पर जहां उसका अनुरक्षण किया जाता है, कारबार के घंटों के दौरान ऐसे युक्तियुक्त निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो अनुपंगी बैंक अधिरोपित करें, खुला होगा, किंतु प्रत्येक कार्यदिवस को निरीक्षण के लिए दो घंटों से अन्युन समय अनुज्ञात किया जाएगा।

(2) किसी शेयर धारक को रजिस्टर में किसी प्रविष्टि की प्रति या कंप्यूटर प्रिंट या डिस्कट बनाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा किंतु उसे सिवाय तब जब रजिस्टर बंद कर दिया गया है, रजिस्टर की या उसके किसी भाग की कागज प्ररूप में या इलैक्ट्रानिकी प्ररूप में उसके लिए ऐसी दर पर पूर्व संदाय करने पर, जैसा समय-समय पर बोर्ड या कार्यपालक समिति विनिश्चय करें, अनुज्ञात किया जा सकेगा।

11. शेयर रजिस्टर का बंद करना—(1) बोर्ड या कार्यपालक समिति शेयर धारकों के रजिस्टर को किसी अवधि या अवधियों के लिए, जो प्रत्येक वर्ष समग्र रूप से, जो दो मास से अधिक नहीं हो, किंतु किसी एक समय में एक मास से अधिक नहीं हो, बंद कर सकेगी।

(2) रजिस्टर को बंद करने की सूचना भारत में व्यापक परिचालन रखने वाले कम से कम दो दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित की जाएगी।

12. शेयर प्रमाणपत्र—(1) प्रत्येक शेयर प्रमाणपत्र, ऐसे प्ररूप में जारी किया जाएगा जैसा समय-समय पर बोर्ड या कार्यपालक समिति द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए और उस पर शेयर प्रमाणपत्र संख्या, एक सुभिन्न संख्या, उन शेयरों की संख्या, जिसकी बाबत उसका निर्गम किया जा रहा है और उस शेयर धारक (धारकों), जिन्हें वह जारी किया जा रहा है, के नाम होंगे।

(2) प्रत्येक शेयर प्रमाणपत्र को अनुपंगी बैंक की सामान्य मुद्रा के अधीन जारी किया जाएगा और अनुपंगी बैंक के निमित्त उस पर अनुपंगी बैंक द्वारा सम्यकता प्राधिकृत दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा प्रत्येक ऐसे हस्ताक्षर को मुद्रित उत्कीर्णित, अश्मलेखित किया जाएगा या किसी अन्य यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा, जैसा बोर्ड या कार्यपालक समिति निदेश दे, चिन्हित किया जाएगा।

(3) इस प्रकार मुद्रित उत्कीर्णित, अश्मलेखित या अन्यथा चिन्हित हस्ताक्षर वैसे विधिमान्य होंगे मानो हस्ताक्षरकर्ता के स्वयं की उचित हस्तलिपि में हस्ताक्षर हों।

(4) कोई शेयर प्रमाणपत्र तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि उस पर इस प्रकार हस्ताक्षर न हों और इस प्रकार हस्ताक्षरित शेयर प्रमाणपत्र इस बात के होते हुए भी कि उनके निर्गम से पूर्व कोई व्यक्ति जिसके हस्ताक्षर उस पर हैं, अनुपंगी बैंक की ओर से शेयर प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति नहीं रह गया है, विधिमान्य और बाध्यकर होंगे।

परंतु जहां इस प्रकार तैयार किए गए शेयर प्रमाणपत्र में उपविनियम (2) के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर अंतर्विष्ट हैं, जिसकी प्रमाणपत्र जारी करने के समय मृत्यु हो गई है, अनुपंगी बैंक उसके द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाने वाली विधि द्वारा ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर को रद्द कर सकेगा और उसके द्वारा किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर को उस पर चस्पा कर सकेगा जो कि ऐसे शेयर प्रमाणपत्र को विधिमान्य कर देगा।

13. बिना किसी प्रभार के शेयर प्रमाणपत्र का निर्गम—(1) अनुपंगी बैंक को कोई शेयर धारक प्रत्येक 50 शेयरों या ऐसी संख्या में शेयरों के जैसा कि बोर्ड या कार्यपालक समिति द्वारा विनिश्चय किया जाए, किसी एक अवसर पर उसके नाम में रजिस्ट्रीकृत शेयरों के लिए एक प्रमाणपत्र के लिए हकदार होगा और एक अतिरिक्त शेयर प्रमाणपत्र के लिए और गुणांक से अधिक किंतु 50 शेयरों से कम के लिए हकदार होगा।

(2) यदि रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाले शेयरों की संख्या 50 से कम है या शेयरों की उतनी संख्या है, जिसका कि बोर्ड या कार्यपालक समिति द्वारा विनिश्चय किया गया है, सभी शेयरों के लिए एक प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

(3) यदि कोई शेयर धारक उस संख्या से अधिक, जिसका कि वह, यथास्थिति, उपविनियम (1) या उपविनियम (2) के अधीन हकदार है, प्रमाणपत्र की अपेक्षा करता है, बोर्ड या कार्यपालक समिति अपने स्व:विवेक पर उतने अतिरिक्त प्रमाणपत्रों का निर्गम कर सकेगी।

(4) अनेक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से धृत शेयरों की दशा में ऐसे संयुक्त धारकों में से किसी एक को प्रमाणपत्र या प्रमाणपत्रों का परिदान सभी को पर्याप्त परिदान होगा और किसी एक शेयर धारक द्वारा हस्ताक्षरित प्राप्ति सभी संयुक्त धारकों पर प्रभावोत्पादक रूप से बाध्यकर होगी।

14. नए या अनुलिपि शेयर प्रमाणपत्रों का निर्गम—(1) यदि कोई शेयर प्रमाणपत्र पुराना हो गया है या विरुपित हो गया है या उप विभाजन या समेकन के लिए प्रदान किया गया है तब उसको बोर्ड या कार्यपालक समिति को प्रस्तुत करने पर बोर्ड या कार्यपालक समिति उसे रद्द करने का आदेश दे सकेंगे और उसके स्थान पर नया प्रमाणपत्र या नए प्रमाणपत्र जारी करवाएंगे।

(2) यदि शेयर प्रमाणपत्र का खो जाने या नष्ट हो जाने का कथन किया जाता है तो उसके खोने या नष्ट हो जाने का साक्ष्य प्रस्तुत करने पर, जिसे बोर्ड या कार्यपालक समिति समाधानप्रद समझे और ऐसी क्षतिपूर्ति पर प्रतिभूति के साथ या उसके बिना जैसा बोर्ड या कार्यपालक समिति अपेक्षा करें उसके स्थान पर एक नया प्रमाणपत्र उस पक्षकार को, जो ऐसे खो गए या नष्ट हो गए प्रमाणपत्र का हकदार है, दे सकेंगे।

(3) उपविनियम (1) और उपविनियम (2) में निर्दिष्ट मामलों से अनुषंगी लागत, प्रभार और व्यय का अवधारण समय-समय पर बोर्ड या कार्यपालक समिति द्वारा किया जाएगा और वह उसके लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा संदेय होगा।

(4) जब उपविनियम (1) में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में कोई प्रमाणपत्र जारी किया जाता है तो वह उसके मुख पर उसका और, यथास्थिति, इस प्रभाव का कथन करेगा कि वह "शेयर प्रमाणपत्र सं. उपविभाजित/प्रतिस्थापित/शेयरों के समेकन पर" जारी किया गया है।

(5) जब उपविनियम (2) में विनिर्दिष्ट किसी परिस्थिति में प्रमाणपत्र जारी किया जाता है तो उसके मुख पर और इस प्रभाव का कथन होगा कि वह "शेयर प्रमाणपत्र सं. के स्थान पर अनुकृति के रूप में" जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त, "अनुकृति" शब्द शेयर प्रमाणपत्र में मोटे अक्षरों में स्टांपित या पंच किया जाएगा।

15. शेयरों का अंतरण—(1) अनुषंगी बैंक के शेयरों का प्रत्येक अंतरण लिखित में निम्नलिखित प्ररूप में या किसी अन्य प्रायिक या सामान्य प्ररूप में होगा जिसे अनुषंगी बैंक अनुमोदित करेगा :

मैं/हम के मुझे/हमें द्वारा संदत्त रूपए की राशि के प्रतिफल में (जिन्हें इसके पश्चात् अंतरिती कहा गया है) एतद्वारा अंतरितियों को शेयर नंबर जिन पर सुभिन्न नंबर है, अंतरिती (अंतरितियों) उसके/उनके निष्पादकों, प्रशासकों और समनुदेशितियों को भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 और तदधीन बनाए गए नियमों और विनियमों में अंतर्विष्ट अनेक शर्तों के अधीन रहते हुए और मैं/हम अंतरिती एतद्वारा अनुरोध करते हैं कि मुझे/हमें उक्त शेयर/शेयरों के संबंध में शेयरधारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाए।

नाम

पता.....

साक्षी.....

नाम.....

पता.....

व्यवसाय.....

अंतरिती.....

नाम

पता.....

साक्षी.....

नाम.....

पता.....

(व्यवसाय.....)

स्थान..... तारीख.....

(2) किसी शेयर के अंतरण के लिखित को अनुषंगी बैंक को प्रस्तुत किया जाएगा और उस पर अंतरक द्वारा या उसके निमित्त हस्ताक्षर किए जाएंगे और अंतरक को ऐसे शेयरों का तब तक धारक माना जाएगा जब तक कि अंतरिती को शेयर रजिस्टर में दर्ज नहीं कर लिया जाता है। ऐसे अंतरण के लिए प्रत्येक हस्ताक्षर को किसी एक साक्षी द्वारा सत्यापित किया जाएगा जो अपना पता और व्यवसाय उसमें जोड़ेगा।

(3) अंतरक को अरजिस्टर करने के अनुरोध के साथ बोर्ड द्वारा अंतरण के किसी लिखत की प्राप्ति पर बोर्ड या कार्यपालक समिति सिवाय तब जब वह विनियम 16 के अधीन रजिस्ट्रीकरण से इंकार कर देती है, उस तारीख से दो मास के भीतर, जिसको अनुषंगी बैंक को बोर्ड को प्रस्तुत करने के लिए अंतरण लिखत परिदत्त किया गया था, अंतरण को रजिस्टर करना कारित करेगी।

16. अंतरणों से इंकार करने या निलंबित करने की शक्ति—(1) बोर्ड या कार्यपालक समिति शेयरों के किसी अंतरण को रजिस्टर करने से तभी इंकार कर सकेंगे जब:--

- (क) अंतरक द्वारा या उसके निमित्त सम्यकता स्टांपित और निष्पादित उचित लिखत तथा अंतरिती को बोर्ड या कार्यपालक समिति को प्रस्तुत न कर दिया गया है ;
- (ख) अंतरण के लिखत के साथ शेयरों का प्रमाणपत्र संलग्न नहीं है जिससे कि वह संबंध रखता है और अन्य ऐसा साक्ष्य जैसा अनुपंगी बैंक युक्तियुक्त रूप से अंतरक के अंतरण करने के अधिकार के साक्ष्य के रूप में अपेक्षा करे संलग्न नहीं है;
- (ग) उसका ऐसी जांच जैसा वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि अंतरिती शेयर धारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अर्हित नहीं है।

(2) बोर्ड या कार्यपालक समिति अंतरण के रजिस्ट्रीकरण को किसी अवधि के दौरान जिसमें रजिस्टर बंद किया गया है, निलंबित कर सकेंगे।

17. किसी शेयर धारक द्वारा नामनिर्देशन की रीति—(1) प्रत्येक व्यष्टि शेयर धारक या संयुक्त धारकों द्वारा इकट्ठा किया जाने वाला नामनिर्देशन, जहां शेयरों को एक से अधिक व्यष्टि के नाम रजिस्ट्रीकृत किया जाना है, इन विनियमों की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट प्ररूप क के अनुसार होगा।

(2) जहां नामनिर्देशिती अप्राप्तवय है, यथास्थिति, शेयर धारक या संयुक्त धारक इकट्ठे किसी अन्य व्यक्ति का नाम और पता प्रस्तुत कर सकेंगे जो अप्राप्तवय नहीं है, जिसके एक मात्र नाम को, यथास्थिति, शेयर धारक या संयुक्त धारकों की मृत्यु की दशा में नामनिर्देशिती के अप्राप्तवय के दौरान शेयर धारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा।

(3) नामनिर्देशिती एक व्यष्टिक है और निगमित निकाय, न्यास, सोसाइटी, भागीदारी फर्म और हिन्दू अविभक्त कुटुंब के कर्ता के पक्ष में नामनिर्देशन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(4) नामनिर्देशन शेयर धारक (धारकों) के जीवन काल के दौरान शेयरों के अंतरण पर विखंडित हो जाएगा।

(5) शेयर धारक या सभी संयुक्त शेयर धारक इकट्ठे किसी भी समय नामनिर्देशन को रद्द कर सकेंगे या उसमें फेरफार कर सकेंगे और किसी व्यष्टिक के पक्ष में, जैसा वह उचित समझें, नया नामनिर्देशन कर सकेंगे।

(6) किसी व्यष्टिक शेयर धारक या सभी संयुक्त शेयर धारकों द्वारा नामनिर्देशन में फेरफार या रद्दकरण इन विनियमों की अनुसूची 1 में यथाविनिर्दिष्ट प्ररूप ख में होगा।

(7) यथा पूर्वोक्त नामनिर्देशन कर रद्दकरण या फेरफार किसी भी समय जिसके दौरान शेयरों को उन व्यक्तियों द्वारा धारण किया जाता है, जो रद्दकरण कर रहे हैं या उसमें फेरफार कर रहे हैं, किया जा सकेगा।

(8) शेयरों को एक से अधिक व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से धारण किए जाने की दशा में नामनिर्देशन का रद्दकरण या फेरफार तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि नामनिर्देशन का रद्दकरण या फेरफार करने के समय उत्तरजीवी सभी शेयर धारकों द्वारा वह नहीं किया जाए।

(9) अनुपंगी बैंक संबंधित शेयर धारक को, यथास्थिति, नामनिर्देशन या नामनिर्देशन के रद्दकरण या नामनिर्देशन में फेरफार के सम्यकतापूर्ण फार्म की लिखित अभिस्वीकृति देगा।

(10) नामनिर्देशन या नामनिर्देशन के रद्दकरण या नामनिर्देशन में फेरफार को अनुपंगी बैंक द्वारा इस प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर में रजिस्टर किया जाएगा।

(11) इन विनियमों में किसी व्यक्ति द्वारा व्यष्टिक या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से डीमैट खाते में धारण किए गए किन्हीं शेयरों की बाबत किसी बात के होते हुए भी, सुसंगत उपबंधों के अनुसार ऐसे डीमैट खाते में रजिस्ट्रीकृत कोई वैध नामनिर्देशन केवल एकमात्र रूप से ऐसे शेयरों के संबंध में वैध नामनिर्देशन होगा।

स्पष्टीकरण : किसी व्यक्ति द्वारा भौतिक रूप में धारण किए गए शेयरों के संबंध में कोई नामनिर्देशन ऐसे शेयरों के डीमैटिरियालाइज्ड रूप में संपरिवर्तित करने पर रद्द समझा जाएगा और इसी प्रकार किसी डीमैट खाते में कोई नामनिर्देशन डीमैट रूप से भौतिक रूप में संपरिवर्तित किए गए शेयरों के संबंध में विधिमान्य नहीं होगा।

18. नामनिर्देशन की दशा में शेयरों का पारेषण — (1) यथास्थिति, शेयर धारक की मृत्यु पर या सभी संयुक्त धारकों की मृत्यु पर कोई व्यक्ति, जो विधिमान्य नामनिर्देशन के कारण शेयरों का हकदार है, ऐसे साक्ष्य की प्रस्तुति पर, जैसा बोर्ड या कार्यपालक समिति अपेक्षा करे और इसमें यथाउपबंधित के अधीन रहते हुए चयन करे, या तो —

(क) स्वयं को शेयरों का धारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत करेगा ; या

(ख) शेयरों का अंतरण करेगा, जैसा कि मृतक शेयर धारक ने किया होता।

(2) कोई व्यक्ति, जो उपविनियम (1) के अधीन शेयर का हकदार है, उस रूप में शेयर की धारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने का चयन करता है, वह समनुपंगी बैंक को यह कथन करते हुए स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित लिखित सूचना का परिदान करेगा या भेजेगा कि उसने ऐसा चयन किया है और ऐसी सूचना के साथ, यथास्थिति, मृतक शेयर धारक या संयुक्त शेयर धारकों के मृत्यु प्रमाणपत्र संलग्न होंगे।

(3) उपविनियम (2) के अधीन बोर्ड या कार्यपालक समिति द्वारा सूचना और अन्य दस्तावेज (दस्तावेजों) की प्राप्ति पर, बोर्ड या कार्यपालक समिति ऐसी जांच और ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन, जो वह उचित समझे, शेयरों का ऐसे व्यक्ति के पक्ष में रजिस्टर करना कारित करेगी जो मृतक शेयर धारक द्वारा किए गए नामनिर्देशन के अनुसार शेयरों का हकदार है।

(4) अंतरण के अधिकार तथा शेयरों के अंतरण के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में इन विनियमों या अधिनियम की सभी परिसीमाएं, निर्बंधन और उपबंध उपरोक्त ऐसी सूचना या अंतरण को ऐसे लागू होंगे मानो शेयर धारक की मृत्यु नहीं हुई थी और अंतरण की सूचना पर उस शेयर धारक द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।

(5) कोई व्यक्ति, जो उपविनियम (1) के अधीन शेयरों का हकदार है, लाभांश और अन्य फायदों के लिए ऐसे हकदार होगा मानो वह शेयर का रजिस्ट्रीकृत धारक था सिवाय यह कि उसे उसके शेयर के संबंध में पूर्व में शेयर धारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया था, वह उसके संबंध में शेयर धारकों की बैठकों में मत देने के अधिकार का उपयोग करने का भी हकदार होगा :

परंतु बोर्ड या कार्यपालक समिति किसी समय ऐसे व्यक्ति को या तो स्वयं को रजिस्ट्रीकृत करने का या शेयर को अंतरित करने का चयन करने की अपेक्षा करने की सूचना दे सकेंगे और यदि साठ दिन के भीतर सूचना का अनुपालन नहीं किया जाता है तो बोर्ड या कार्यपालक समिति तत्पश्चात् शेयर के संबंध में संदेय लाभांशों, बोनस या अन्य धन के संदाय को तब तक विधायित कर सकेंगे जब तक कि या सूचना की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं कर लिया जाता है।

19. शेयर धारक की मृत्यु, दिवालियापन आदि की दशा में शेयरों का पारेषण (जब कोई नामनिर्देशन नहीं हो)- (1) अनुपंगी बैंक के शेयर के मृतक एकमात्र धारक की संपदा के निष्पादक या प्रशासक या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) के भाग 10 के अधीन ऐसे शेयरों के संबंध में जारी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का धारक या ऐसा व्यक्ति, जिसके पक्ष में ऐसे शेयर के अंतरण का कोई विधिमान्य लिखत ऐसे व्यक्ति द्वारा या मृतक एकमात्र धारक द्वारा उत्तरवर्ती के जीवनकाल के दौरान निष्पादित किया गया था, वह केवल एकमात्र ऐसा व्यक्ति होगा जिसे अनुपंगी बैंक द्वारा मान्यता दी जाएगी जिसके पास मृतक शेयर धारक के शेयर का मालिकाना होगा। दो या अधिक धारकों के नाम में रजिस्ट्रीकृत अनुपंगी बैंक के शेयर की दशा में उत्तरजीवी और अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु की दशा में उसकी संपदा के निष्पादक या प्रशासक या कोई अन्य व्यक्ति, जो शेयर में ऐसे उत्तरजीवी हित के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का धारक है या कोई व्यक्ति, जिसके पक्ष में शेयर के अंतरण का विधिमान्य लिखत उस व्यक्ति द्वारा या ऐसे अंतिम उत्तरजीवी द्वारा पश्चातवर्ती के जीवनकाल में निष्पादित किया गया था, एकमात्र ऐसा व्यक्ति होगा जिसे अनुपंगी बैंक द्वारा ऐसे शेयर के संबंध में कोई मालिकाना हक रखने वाले के रूप में मान्यता दी जा सकेगी। अनुपंगी बैंक ऐसे निष्पादकों या प्रशासकों को मान्यता देने के लिए तब तक बाध्य नहीं होगा जब तक कि उन्होंने, सक्षम अधिकारिता रखने वाले किसी न्यायालय से, यथास्थिति, प्रोबेट या प्रशासन पत्र या अन्य विधिक अभ्यावेदन प्राप्त न कर लिया हो :

परंतु ऐसा होने पर भी कि किसी मामले में, जहां बोर्ड या कार्यपालक समिति अपने स्व:विवेकाधिकार के आधार पर ऐसा करना उचित समझती है तो बोर्ड या कार्यपालक समिति द्वारा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, प्रशासन पत्र या ऐसे अन्य विधिक अभ्यावेदनों से ऐसे निबंधनों पर छूट देना जो उसकी क्षतिपूर्ति करे या अन्यथा वह जैसा ठीक समझे, विधिमान्य होगा :

परंतु यह और कि इस उपविनियम में अंतर्विष्ट कोई बात किसी व्यक्ति के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी जो किसी विधिमान्य नामनिर्देशन के लेखे शेयरों का हकदार हो जाता है।

(2) अधिनियम और इन विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसा कोई व्यक्ति, उपविनियम (1) के अधीन शेयर धारक की मृत्यु के परिणामस्वरूप अनुपंगी बैंक के शेयर का हकदार बनने पर और किसी व्यक्ति के किसी शेयर धारक के दिवालियापन, शोधन अक्षमता या परिसमापन के परिणामस्वरूप किसी शेयर का हकदार बनने पर ऐसे साक्ष्य को प्रस्तुत करने पर जैसा बोर्ड या कार्यपालक समिति अपेक्षा करे, निम्नलिखित का हकदार होगा-

(क) उसके बोर्ड या कार्यपालक समिति का उस रीति में समाधान करने पर मानो वह विनियम 16 के अधीन प्रस्तावित अंतरित था कि वह शेयर धारक के रूप में रजिस्ट्रीकरण करने के लिए अर्हित है, को शेयरों के संबंध में शेयर धारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत करने का ; या

(ख) शेयर का ऐसा अंतरण करने के लिए जैसे उस व्यक्ति ने जिससे उसे हकदारी व्युत्पन्न हुई थी, ने किया होता।

20. शेयरधारक का रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हित होना प्रविरत होना— अनुपंगी बैंक के शेयरधारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत, चाहे अकेले या अन्य के साथ संयुक्त रूप से या अन्य के साथ किसी व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि किसी शेयर के संबंध में उस रूप में रजिस्ट्रीकृत होने से अर्हित होने के प्रविरत होने पर तुरंत उसकी बोर्ड या कार्यपालक समिति को सूचना दे।

21. किसी निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता— बोर्ड या कार्यपालक समिति साधारण या विशेष निर्देश द्वारा किसी अधिकारी या कंपनी या अभिकरण को विनियम 13 के उपविनियम (3), विनियम 14, विनियम 15 के उपविनियम (3), विनियम 16 के उपविनियम (1), विनियम 18 के उपविनियम (3) और विनियम 19 के उपविनियम (2) में उपवर्णित अपनी शक्तियों को प्रत्यायोजित करने में सक्षम होगी और बोर्ड या कार्यपालक समिति "किसी निर्गम के लिए रजिस्ट्रार" और "शेयर अंतरण अभिकर्ता", जैसा कि सुसंगत भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड विनियमों में परिभाषित किया गया है, नियुक्त करने के लिए भी सक्षम होगी।

22. जारी पूंजी, प्रतिसंहण और शेयरों के पुनःनिर्गम के लिए धन स्वीकार करने की रीति—(1) बोर्ड या कार्यपालक समिति शेयरधारकों से उनके द्वारा धृत शेयरों के संबंध में शेष असंदत्त धन की बाबत, चाहे शेयरों के न्यूनतम मूल्य के लेखे या प्रीमियम के माध्यम से, जो आबंटन के लिए शर्त है, जिसका नियत समय पर संदाय नहीं किया गया है के लिए उनके लिए संदाय की सूचना से चौदह दिन से अन्यून अवधि की सूचना देकर काल कर सकेगा और प्रत्येक शेयरधारक उस पर की गई प्रत्येक काल के लिए बोर्ड या कार्यपालक समिति द्वारा नियत समय और स्थान पर या ऐसी पश्चात्तर्वती तारीख पर, जो बोर्ड या कार्यपालक समिति द्वारा नियत की जाए, रकम का संदाय करेगा। इसी काल को किस्तों में संदेय किया जा सकेगा और उसे भूतलक्षी रूप से उस तारीख से संदेय किया जा सकेगा जब बोर्ड या कार्यपालक समिति ने ऐसे काल को प्राधिकृत करने वाला संकल्प पारित किया था :

परंतु ऐसे काल के संदाय के लिए नियत समय से पूर्व बोर्ड या कार्यपालक समिति, शेयरधारक को लिखित सूचना द्वारा संदाय के लिए नियत समय का विस्तार कर सकेगी या काल की सूचना को वापस ले सकेगी।

(2) यदि किसी काल या किस्त के संबंध में संदेय राशि का भुगतान उसके लिए नियत दिन से पूर्व नहीं किया जाता है तो तत्समय शेयरधारक या शेयर का आबंटिती, जिसकी बाबत कोई काल की गई है या किस्त शोध्य है, उस राशि पर उसके लिए नियत दिन से वास्तविक संदाय के समय तक ऐसी दर पर व्याज का संदाय करेगा, जो समय-समय पर बोर्ड या कार्यपालक समिति द्वारा नियत की जाए। किंतु बोर्ड या कार्यपालक समिति कारणों को लेखबद्ध करते हुए ऐसे व्याज के संदाय का पूर्णतः या भागतः अधित्यजन कर सकेगी।

(3)(क) यदि कोई शेयरधारक किसी शेयर के संबंध में किसी काल या किस्त या किसी धन का पूर्णतः या भागतः या तो मूल या उस पर व्याज का उसके लिए नियत तारीख तक संदाय करने में असमर्थ रहता है तो अनुषंगी बैंक तत्पश्चात् किसी भी समय यदि काल या किस्त या उनके किसी भाग या पूर्णतः या भागतः असंदत्त अन्य धन के लिए ऐसे शेयरधारकों पर या किसी व्यक्ति (यदि कोई हो), जो अंतरण द्वारा शेयरों का हकदार है, पर प्रतिसंहण की सूचना की तामील कर सकेगा, उससे ऐसे काल या किस्त या उनके ऐसे भाग या अन्य धन के लिए, जो किसी व्याज, जो उन पर शोध्य उद्भूत हुआ हो, के साथ असंदत्त रहा है, का संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(ख) प्रतिसंहण की सूचना में ऐसी तारीख का कथन होगा, जो सूचना की तारीख से चौदह दिन से अन्यून नहीं होगी, और उस पर उस समय तथा तारीख का कथन होगा, जिसको काल या किस्त या शेष असंदत्त व्याज का संदाय किया जाना है और संदाय के लिए नियत तारीख तक शोध्य रकम का संदाय न किए जाने की दशा में वे शेयर, जिनके बाबत काल किया गया था और रकम शोध्य थी, प्रतिसंहण के दायी होंगे।

(4) यदि शेयरधारक या कोई अन्य व्यक्ति, जिस पर प्रतिसंहण की सूचना की तामील की गई है, उसका अनुपालन करने में असफल रहता है तो वह शेयर, जिनकी बाबत प्रतिसंहण की सूचना दी गई थी, संदाय के लिए नियत तारीख के पश्चात् किसी भी समय बोर्ड या कार्यपालक समिति के संकल्प द्वारा प्रतिसंहित किए जा सकेंगे और ऐसे प्रतिसंहण में प्रतिसंहित शेयरों के संबंध में सभी असंदत्त लाभांश शामिल होंगे।

(5) इस प्रकार प्रतिसंहित किसी भी शेयर को अनुषंगी बैंक की परिसंपत्ति समझा जाएगा और उसका विक्रय, पुनःआबंटन या अन्यथा किसी व्यक्ति को ऐसे शर्तों पर और ऐसी रीति में, जैसा बोर्ड या कार्यपालक समिति द्वारा विनिश्चय किया जाए, निपटान किया जा सकेगा।

(6) अनुषंगी बैंक, शेयर की बिक्री, पुनःआबंटन या उसके अन्यथा निपटान के लिए प्रतिफल, यदि कोई हो, को प्राप्त कर सकेगा और वह व्यक्ति, जिसको ऐसे शेयर का विक्रय किया गया है, पुनः आबंटन किया गया है या निपटान किया गया है, शेयर के धारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा और प्रतिफल, यदि कोई हो, को लागू करने को देखने के लिए आबद्ध नहीं होगा, न ही उसका शेयर पर मालिकाना हक प्रतिसंहण, विक्रय, पुनःआबंटन या शेयर के अन्यथा निपटान के संदर्भ में किसी अनियमितता या अविधिमान्यता द्वारा प्रभावित होगा और विक्रय से व्यथित किसी व्यक्ति का नुकसानों के रूप में उपचार केवल और अनन्य रूप से अनुषंगी बैंक के विरुद्ध होगा।

(7) बोर्ड या कार्यपालक समिति, किसी भी समय उपनियम (4) के अधीन इस प्रकार प्रतिसंहित शेयर का विक्रय, पुनःआबंटन या अन्यथा निपटान किए जाने से पूर्व उसके प्रतिसंहित किए जाने को ऐसी शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, बातिल कर सकेगी।

(8) कोई शेयरधारक, जिसके शेयरों को प्रतिसंहित कर दिया गया है, प्रतिसंहण के होते हुए भी संदाय करने का दायी होगा और तुरंत अनुषंगी बैंक को सभी कालों, किस्तों, व्ययों और अन्य धन का, जो ऐसे शेयरों की बाबत प्रतिसंहण के समय देय है, उन पर प्रतिसंहण के समय से ऐसी दर पर, जो बोर्ड या कार्यपालक समिति द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, संदाय करेगा तथा बोर्ड या कार्यपालक समिति संपूर्ण या उसके किसी भाग के संदाय को प्रवृत्त कर सकेगी।

(9) अनुपंगी बैंक के पक्ष में न तो कालों या किसी शेयर के संबंध में शोध्य धन के लिए कोई निर्णय या डिक्री, न ही उनका कोई संदाय या पूरा किया जाना, न ही अनुपंगी बैंक द्वारा किसी धन के किसी भाग की प्राप्ति, जो किसी शेयरधारक से किन्हीं शेयरों के संबंध में मूल या ब्याज के रूप में समय-समय पर शोध्य है, न ही अनुपंगी बैंक द्वारा किसी धन के संदाय के संबंध में अनुदत्त कोई अनुग्रह इन विनियमों के अधीन ऐसे शेयरों के प्रतिसंहण को निवारित नहीं करेगा।

(10) अनुपंगी बैंक द्वारा लिखित में सम्यक्तः प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र कि शेयरों का प्रतिसंहण बोर्ड या कार्यपालक समिति द्वारा उस प्रभाव के लिए गए संकल्प द्वारा किया गया था, ऐसे शेयरों के हकदार सभी व्यक्तियों के विरुद्ध उस तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगा।

(11) जब उपविनियम (4) के अधीन किसी शेयर का प्रतिसंहण कर लिया जाता है, तारीख सहित रजिस्टर में उसके प्रतिसंहण की प्रविष्टि की जाएगी।

(12) किसी शेयर का प्रतिसंहण, प्रतिसंहण के समय उसमें सभी हित और अनुपंगी बैंक के विरुद्ध सभी दावों और मांगों का उस शेयर की बाबत तथा उस शेयर से अनुपंगी सभी अधिकारों का सिवाय केवल उन अधिकारों का, जिनका इन विनियमों द्वारा अभिव्यक्त रूप से अधित्यजन कर दिया गया है, उन्मूलन कर देगा।

(13) उपविनियमों के अनुसार प्रतिसंहित शेयरों की बिक्री, पुनःनिर्गम या अन्य निपटान पर संबंधित शेयरों के संबंध में मूलतः जारी प्रमाणपत्र (सिवाय तब जब बैंक द्वारा उनकी मांग किए जाने पर पूर्व में ही व्यतिक्रमी शेयरधारक द्वारा उनका अभ्यर्पण कर दिया गया है) रद्द हो जाएगा तथा अकृत और शून्य हो जाएगा तथा अप्रभावी हो जाएगा।

(14) बोर्ड या कार्यपालक समिति, उक्त शेयरों के संबंध में उनके हकदार व्यक्ति या व्यक्तियों को नए प्रमाणपत्र जारी करने की पात्र होगी।

(15) शेयर के संयुक्त धारक संयुक्त रूप से और पृथक् रूप से उसके संबंध में सभी कालों का संदाय करने के दायी होंगे।

(16) इन विनियमों के अन्य उपबंधों की शर्त के अधीन रहते हुए, कोई शेयरधारक कोई लाभांश प्राप्त करने या किसी शेयरधारक के अधिकार का उपयोग करने का तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक उसने उसके द्वारा चाहे एकमात्र रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर धृत शेयरों की बाबत तत्समय देय और संदेय सभी कालों का, यथा उद्गृहीत या प्रभारित ब्याज और व्ययों के साथ, संदाय न कर दिया हो।

(17) यदि किसी शेयर के निर्गम के निबंधनों या अन्यथा किसी नियत समय कोई रकम या नियत समय पर किस्तों द्वारा कोई रकम संदेय है तो प्रत्येक ऐसी रकम या किस्त ऐसे संदेय होगी मानो ये बोर्ड या कार्यपालक समिति द्वारा सम्यक्त की गई काल थी और जिसकी सम्यक् सूचना दी गई थी तथा इसमें अंतर्विष्ट कालों के संबंध में सभी उपबंध ऐसी रकम या किस्त को तदनुसार लागू होंगे।

(18) (क) अनुपंगी बैंक का निम्नलिखित पर प्रथम और सर्वोपरि धारणाधिकार होगा--

(i) प्रत्येक शेयर पर (जो पूर्णतः संदत्त शेयर नहीं है), सभी काल किए गए या किसी नियत समय पर उस शेयर के संबंध में संदेय धन पर (चाहे संदेय है या नहीं) ;

(ii) सभी शेयरों पर (जो पूर्णतः संदत्त शेयर नहीं है), जो किसी एकमात्र व्यक्ति के नाम रजिस्ट्रीकृत हैं, उसके द्वारा या उसकी संपदा द्वारा अनुपंगी बैंक को संदेय सभी धन ;

(iii) प्रत्येक व्यक्ति के नाम रजिस्ट्रीकृत (चाहे एकमात्र रूप में या अन्य के साथ संयुक्त रूप में) सभी शेयरों पर (जो पूर्णतः संदत्त शेयर नहीं है), उसके अकेले या अन्य व्यक्ति के साथ अनुपंगी बैंक के उधारों, दायित्वों और नियोजनों के लिए, चाहे संदाय, पूरा करने या उनके उन्मोचन की अवधि वास्तव में आ गई हो या नहीं और किसी शेयर में कोई साम्यापूर्ण ब्याज को अनुपंगी बैंक द्वारा उसके धारणाधिकार पर मान्यता दी जाएगी ;

परंतु बोर्ड या कार्यपालक समिति किसी भी समय किसी शेयर को इस खंड के उपबंधों के भागतः या पूर्णतः छूट प्रदान किया गया घोषित कर सकेगी।

(ख) अनुपंगी बैंक का किसी शेयर पर धारणाधिकार, यदि कोई हो, का उस पर संदेय सभी लाभांशों पर विस्तार किया जाएगा।

(19)(क) अनुपंगी बैंक जिन पर बैंक का धारणाधिकार है, का ऐसी रीति में विक्रय कर सकेगा जैसा बोर्ड या कार्यपालक समिति उपयुक्त समझे :-

(i) यदि कोई राशि जिसके संबंध में धारणाधिकार विद्यमान है, संदेय है ; और

(ii) लिखत में तत्समय शेयर के रजिस्ट्रीकृत धारक को या उसकी मृत्यु या दिवालियापन के कारण हकदार व्यक्ति को सूचना की समाप्ति के 14 दिन के पश्चात्, जिसमें यह कथन किया गया है कि रकम के उस भाग के संदाय की मांग की गई है, जिसके संबंध में धारणाधिकार विद्यमान है और संदेय है।

(ख) यथा उपरोक्त किसी विक्रय को प्रभावी करने के लिए बोर्ड या कार्यपालक समिति किसी अधिकारी को शेयरों के क्रेता को विक्रय किए गए शेयरों का अंतरण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी।

(20) उपविनियम (19) के अधीन शेयरों की किसी बिक्री से ऐसी बिक्री की लागत को घटाकर शुद्ध आगत को उस ऋण या दायित्व को चुकाने के लिए उपयोजित किया जाएगा जिसकी बाबत धारणाधिकार को जहां तक वह संदेय है, प्रवृत्त किया गया था और शेष, यदि कोई हो, का संदाय शेयरधारक या व्यक्ति को, यदि कोई है, जो इस प्रकार विक्रय किए गए शेयरों के पारेषण द्वारा हकदार है, किया जाएगा।

(21)(क) अनुपंगी बैंक किसी शेयरधारक को या तो व्यक्तिगत रूप से या उसके रजिस्ट्रीकृत पते पर साधारण डाक से या उसका भारत में कोई रजिस्ट्रीकृत पता नहीं है, तो उसके द्वारा अनुपंगी बैंक को भारत में दिए गए पते, यदि कोई है, पर किसी सूचना की तामील कर सकेगा।

(ख) जब कोई दस्तावेज या सूचना डाक द्वारा भेजी जाती है, तो ऐसे दस्तावेज या सूचना की तामील दस्तावेज या सूचना अंतर्विष्ट करने वाले पत्र को उचित रूप से पता लिखकर, पूर्व भुगतान करके और डाक में डालकर किया गया मान लिया जाएगा :

परंतु जब किसी शेयरधारक द्वारा अनुपंगी बैंक को अग्रिम में यह संसूचित किया गया है कि दस्तावेज उसे रजिस्ट्रीकृत डाक से, अभिस्वीकृति के साथ या उसके बिना कुरियर सेवा या इलैक्ट्रानिकी ढंग से भेजे जाएं और उसने अनुपंगी बैंक के पास ऐसा करने के व्ययों को चुकाने के लिए पर्याप्त राशि जमा कर दी है, दस्तावेज या सूचना की तामील तब तक की गई नहीं मानी जाएगी जब तक कि वह शेयरधारक द्वारा संसूचित रीति से न भेजे जाएं :

परंतु यह और कि डाक द्वारा भेजी गई किसी सूचना की तामील को उस दिन से तीसरे दिन किया गया मान लिया जाएगा जिसको उसे अंतर्विष्ट करने वाला लिफाफा या रैपर डाक में डाला गया है और जिसकी तामील के सबूत के रूप में यह साबित करना पर्याप्त होगा कि सूचना को अंतर्विष्ट करने वाला लिफाफा या रैपर पर समुचित रूप से पता लिखा गया था, पूर्व संदत्त था और डाकघर में दिया गया था और अनुपंगी बैंक के किसी कर्मचारी द्वारा लिखत में हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र की सूचना को अंतर्विष्ट करने वाला लिफाफा या रैपर उपयुक्त रूप से पता लिखा गया था, पूर्व संदत्त था और डाक में डाला गया था और किसी अन्य मामले में उस समय, जिसको पत्र साधारण प्रक्रम में परिदत्त किया गया होता, उसकी तामील का निश्चायक साक्ष्य होगा।

(ग) किसी समाचार-पत्र, जिसका भारत में व्यापक परिचालन है, में विज्ञापित कोई सूचना या दस्तावेज की उस तारीख को, जिसको विज्ञापन उपसंज्ञात होता है, की अनुपंगी बैंक के प्रत्येक शेयरधारक को, जिसका भारत में कोई रजिस्ट्रीकृत पता नहीं है और जिसने उसे सूचना देने के लिए अनुपंगी बैंक को भारत में कोई पता नहीं दिया है, सम्यक्ता तामील की गई मानी जाएगी ;

(घ) अनुपंगी बैंक द्वारा किसी संयुक्त शेयरधारक को सूचना या दस्तावेज की तामील किसी शेयर के संबंध में रजिस्टर में प्रथम नामित संयुक्त शेयरधारक को तामील करके की जा सकेगी और इस प्रकार दी गई सूचना उक्त शेयरों के सभी शेयरधारकों को पर्याप्त सूचना होगी;

(ङ) अनुपंगी बैंक द्वारा किसी सूचना या दस्तावेज की तामील किसी शेयर के किसी शेयरधारक की मृत्यु या उसके दिवालियापन के परिणामस्वरूप हकदार व्यक्तियों को उसे उसको नाम द्वारा संबोधित पूर्व संदत्त डाक या मृतक के प्रतिनिधियों के पदनाम या दिवालियों के समनुदेशियों या ऐसे ही किसी विवरण द्वारा इस प्रकार हकदारी का दावा करने वाले व्यक्तियों द्वारा इस प्रयोजन के लिए दिए गए भारत में किसी पते, यदि कोई हो, पर की जाएगी या जब तक ऐसा पता न दिया गया हो, दस्तावेज की किसी ऐसी रीति में जिसके द्वारा यदि मृत्यु या दिवालियापन नहीं हुआ होता, उसकी तामील की जाती ;

(च) अनुपंगी बैंक द्वारा दी जाने वाली सूचना में हस्ताक्षर लिखत या मुद्रित हो सकेंगे।

अध्याय 3

इलैक्ट्रानिकी प्ररूप में शेयर रजिस्टर का अनुरक्षण और कंप्यूटर आदि में शेयरधारकों के रजिस्टर का अनुरक्षण करने के लिए सुरक्षोपाय

23. इलैक्ट्रानिकी प्ररूप आदि में शेयर रजिस्टर का अनुरक्षण—इन विनियमों के अध्याय 2 में वर्णित के साथ पठित अधिनियम की धारा 21 के अधीन शेयर रजिस्टर में दर्ज किए जाने के लिए अपेक्षित विशिष्टियों का कंप्यूटर में मैगनेटिक या ऑप्टिकल या मैगनेटो-ऑप्टिकल मीडिया में डिस्कट, फ्लोपी, कार्टेज या अन्यथा (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अध्याय में "मीडिया" कहा गया है) ऐसे अवस्थानों पर जिनका समय-समय पर प्रबंध निदेशक या इस निमित्त प्रबंध निदेशक के निमित्त महाप्रबंधक के रैंक से अनूयन विनिर्दिष्ट अन्य अधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् "पदनामित अधिकारी" कहा गया है) द्वारा विनिश्चय किया जाए, अनुरक्षण किया जाएगा।

24. कंप्यूटर प्रणालियों के संरक्षण के लिए सुरक्षोपाय—(1) विनियम 23 में उपवर्णित प्रणाली, जिसमें डाटा का भंडारण किया जाएगा, तक पहुंच ऐसे व्यक्तियों तक निर्बंधित होंगी जैसा इस निमित्त प्रबंध निदेशक या नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जाए और पासवर्ड, यदि कोई हों, और/या इलैक्ट्रॉनिकी सुरक्षा नियंत्रण प्रणालियों को उक्त व्यक्तियों की अभिरक्षा के अधीन गोपनीय रखा जाएगा।

(2) प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा पहुंच को कंप्यूटर प्रणाली द्वारा लॉग में अभिलिखित किया जाएगा और ऐसे लॉग को प्रबंध निदेशक या नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा इस निमित्त पदनामित कार्मिकों या व्यक्तियों के पास परिरक्षित रखा जाएगा।

(3) प्रबंध निदेशक या पदनामित कार्मिक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट अंतरालों पर हटाए जा सकने वाले मीडिया में बैकअप की कापी ली जाएगी इसमें शेयरधारकों के रजिस्टर में किए गए परिवर्तनों को भी शामिल किया जाएगा। कम से कम इनमें से एक कापी को ताला लगाने के प्रबंध के साथ अग्निरोधी वातावरण में और अपेक्षित तापमान पर भंडारित किया जाएगा। दोनों स्थानों पर बैकअप तक पहुंच इस निमित्त प्रबंध निदेशक या नामनिर्दिष्ट कार्मिक द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों तक निर्बंधित होगी। इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति उस अवस्थान पर रखे गए मैन्युअल रजिस्टर में पहुंच को अभिलिखित करेंगे।

(4) प्राधिकृत व्यक्तियों का यह कर्तव्य होगा कि वह बैकअप में डाटा की तुलना कंप्यूटर प्रणाली में डाटा के साथ उपयुक्त साफ्टवेयर का उपयोग करते हुए करें, जिससे बैकअप की शुद्धता का सुनिश्चय हो सके। इस प्रक्रिया के परिणाम को इस प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर में अभिलिखित किया जाएगा।

25. अन्य सुरक्षोपाय करने की प्रबंध निदेशक की शक्तियां—विशेष या साधारण आदेश द्वारा प्रबंध निदेशक के लिए यह सक्षम होगा कि वह प्रौद्योगिकी में उन्नति को ध्यान में रखते हुए और/या परिस्थिति की मांग या किसी अन्य सुसंगत विचारण को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर प्रणाली में शेयरधारकों के रजिस्टर का अनुरक्षण करने के लिए अनुपालन किए जाने वाले सुरक्षापायों के संबंध में अनुदेशों, अनुबंधों में वर्धन या उपांतरण करे।

अध्याय 4

शेयरधारकों की बैठकें

26. साधारण बैठक बुलाने की सूचना—अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए—

(क) अनुपंगी बैंक के अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित अनुपंगी बैंक के शेयरधारकों की बैठक बुलाने की सूचना बैठक की तारीख से 28 दिन से अन्यून पूर्व भारत में व्यापक परिचालन रखने वाले कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी।

(ख) ऐसी प्रत्येक सूचना में ऐसी बैठक का समय, तारीख और अवस्थान तथा उस बैठक में संव्यवहार किए जाने वाले कारबार का भी कथन होगा।

27. विशेष साधारण बैठक—(1) बोर्ड किसी भी समय और यदि उसे या तो स्टेट बैंक या अन्य शेयरधारण करने वाले शेयरधारकों, जो सभी शेयरधारकों के कुल मत अधिकारों का 20 प्रतिशत से अन्यून रखते हैं, से ऐसी बैठक की अध्यक्षता प्राप्त होती है तो शेयरधारकों की विशेष साधारण बैठक का बुलाना कारित करेगा।

(2) उपविनियम (1) में निर्दिष्ट अध्यक्षता उस प्रयोजन का कथन करेगी जिसके लिए विशेष साधारण बैठक बुलाई जानी है और उसमें उसी तरह के अनेक दस्तावेज हो सकेंगे, जिन पर प्रत्येक पर एक या अधिक अध्यक्षकर्ताओं के हस्ताक्षर होंगे।

(3) साधारण बैठक का समय, तारीख और अवस्थान का विनिश्चय बोर्ड द्वारा किया जाएगा :

परंतु अध्यक्षता पर बुलाई गई विशेष साधारण बैठक, अध्यक्षता की प्राप्ति के 45 दिन के बाद नहीं बुलाई जाएगी।

28. साधारण बैठकों में कारबार—(1) अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट से भिन्न कारबार का वार्षिक साधारण बैठक में संव्यवहार या उस पर चर्चा अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाले अन्य व्यक्ति की सहमति से नहीं की जाएगी, जब तक कि उसके लिए छह सप्ताह से अन्यून की सूचना अनुपंगी बैंक के अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक को या तो स्टेट बैंक द्वारा या बैठक में मत देने के लिए अर्हित कम से कम दस अन्य शेयरधारकों द्वारा न दी गई हो। ऐसी सूचना बैठक में रखे जाने के लिए निश्चित संकल्प का रूप लेगी और उसे बैठक की सूचना में शामिल किया जाएगा।

(2) अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाले अन्य व्यक्ति की सहमति के सिवाय किसी विशेष साधारण बैठक में किसी कारबार का संव्यवहार या चर्चा सिवाय उस कारबार के जिसके लिए विनिर्दिष्ट रूप से बैठक बुलाई गई है, नहीं की जाएगी।

29. साधारण बैठकों में गणपूर्ति—शेयरधारकों की किसी बैठक में चाहे वह वार्षिक साधारण बैठक या कोई विशेष साधारण बैठक हो, किसी कारबार का तब तक संव्यवहार नहीं किया जाएगा जब तक कि स्टेट बैंक का किसी प्रॉक्सी द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाले या सम्यकता प्राधिकृत पांच प्रतिनिधि और ऐसी बैठक में मत का हक रखने वाले चार अन्य शेयरधारक व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा या सम्यकता प्राधिकृत प्रतिनिधि ऐसा कारबार प्रारंभ होने पर उपस्थित न हों और बैठक के लिए नियत समय से पन्द्रह मिनट के भीतर, यदि गणपूर्ति उपस्थित नहीं होती है तो अध्यक्ष या साधारण साधारण बैठक की अध्यक्षता करने वाला अन्य व्यक्ति बैठक को भंग कर सकता है या अगले सप्ताह उसी दिन के लिए उसी समय और अवस्थान के लिए स्थगित कर सकता है और यदि ऐसी अस्थगित बैठक में गणपूर्ति नहीं

होती है तो शेयरधारक, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है या प्रॉक्सी द्वारा या सम्यकता प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपस्थित है, गणपूर्ति होंगे :

परंतु किसी वार्षिक साधारण बैठक को उस तारीख से पश्चातवर्ती तारीख के लिए अस्थगित नहीं किया जाएगा जिसके भीतर अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) के परंतुक के निबंधनों में ऐसी साधारण बैठक आयोजित की जाएगी और यदि पश्चातवर्ती सप्ताह में उसी दिन बैठक के स्थगन का वहीं प्रभाव होता है तो साधारण बैठक को अस्थगित नहीं किया जाएगा किंतु बैठक के कारबार को या तो यथाशीघ्र बैठक के लिए नियत समय से एक घंटे के भीतर जैसा कि गणपूर्ति होती है, या उस समय से एक घंटे के अवसान के तुरंत पश्चात् आरंभ कर दिया जाएगा और वह शेयरधारक, जो व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा या सम्यकता प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से उस समय उपस्थित है, गणपूर्ति होंगे ।

30. साधारण बैठक में अध्यक्ष—(1) अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में कोई एक निदेशक, जो साधारणतया या किसी विशिष्ट बैठक के संबंध में इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किया जाए, साधारण बैठक की अध्यक्षता करेगा और अध्यक्ष तथा इस प्रकार प्राधिकृत उस व्यक्ति की अनुपस्थिति में शेयरधारक, जो व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा या सम्यकता प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा बैठक में उपस्थित है, किसी अन्य निदेशक को बैठक के अध्यक्ष के रूप में चुन सकेंगे ।

(2) साधारण बैठक का अध्यक्ष, साधारण बैठक में प्रक्रिया को विनियमित करेगा और विशेषता उसे उस क्रम का विनिश्चय करने की, जिसमें शेयरधारक बैठक को संबोधित करेंगे, संबोधनों के लिए समय-सीमा नियत करने की, जब उसके मत में किसी विषय पर पर्याप्त विचार-विमर्श हो गया है, को बंद करने की और बैठक को स्थगित करने की शक्ति होगी ।

31. साधारण बैठक में उपस्थित होने के हकदार व्यक्ति—(1) सभी निदेशक तत्समय लेखापरीक्षक और सभी शेयरधारक उपविनियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए अनुपंगी बैंक की किसी साधारण बैठक में उपस्थित होने के हकदार होंगे ।

(2) कोई शेयरधारक (स्टेट बैंक या अनुपंगी बैंक के निदेशक से भिन्न), जो साधारण बैठक में उपस्थित हो रहे हैं, से पहचान के प्रयोजन और उनके मत देने के अधिकारों का अवधारण करने के लिए अनुपंगी बैंक को प्रबंध निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप, जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, पर हस्ताक्षर करने और उसका परिदान करने की अपेक्षा होगी :

(क) उसका पूरा नाम और रजिस्ट्रीकृत पता ;

(ख) उसके शेयरों की सुभिन्न संख्या ;

(ग) क्या वह मत देने का हकदार है और मतों की संख्या, जिनके लिए वह व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी के रूप में या सम्यकता प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में मत देने का हकदार है ।

32. साधारण बैठकों में मत देना—(1) अधिनियम की धारा 31 में अन्यथा उपबंधित के सिवाय अनुपंगी बैंक की साधारण बैठक में प्रस्तुत प्रत्येक विषय का विनिश्चय मतों के बहुमत द्वारा किया जाएगा ।

(2) अनुपंगी बैंक की साधारण बैठक में अध्यक्ष की घोषणा का कोई संकल्प पारित किया गया है या अस्वीकार किया गया है, की हाथ उठाकर उपस्थित शेयरधारकों द्वारा, जो संकल्प पर मत देने के हकदार हैं, निश्चायक होगी और ऐसे संकल्प के पक्ष में या उसके विरुद्ध अभिलिखित मतों के समानुपात के सबूत के बिना अनुपंगी बैंक की कार्यवाहियों की पुस्तिका में इस प्रभाव की एक प्रविष्टि इस तथ्य का पर्याप्त साक्ष्य होगी, सिवाय तब जब ऐसी घोषणा के तुरंत पश्चात् स्टेट बैंक के निमित्त या ऐसी बैठक में उपस्थित और मत देने के हकदार कम से कम चार अन्य शेयरधारकों द्वारा लिखित में मतदान की मांग न की जाए :

परंतु साधारण बैठक का अध्यक्ष स्वयं किसी संकल्प पर विचारण के समय या हाथ उठाकर परिणाम की घोषणा से किसी भी समय-पूर्व हाथ उठाकर मतदान करने के स्थान पर मतदान का आदेश करने का हकदार होगा ।

(3) यदि किसी मतदान की सम्यकता मांग की जाए या आदेश किया जाए तो या तुरंत किया जाएगा अथवा ऐसे समय और स्थान पर खुले मतदान द्वारा या मतपत्र द्वारा, जैसा कि बैठक का अध्यक्ष निदेश करें, किया जाएगा और मतदान के परिणाम को उस बैठक का संकल्प समझा जाएगा, जिसमें मतदान की मांग की गई थी । ऐसे मतदान में मतदान या तो व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा या सम्यकता प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा और शेयरधारक विनियम 36 में निर्दिष्ट मतदान अधिकारों का उपयोग करने के हकदार होंगे ।

(4) किसी व्यक्ति की मत देने की अर्हता और किसी मतदान की दशा में किसी व्यक्ति द्वारा मतों की संख्या, जिनका उपयोग करने के लिए वह सक्षम है, के संबंध में बैठक के अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा ।

33. साधारण बैठकों के कार्यवृत्त—(1) अनुपंगी बैंक साधारण बैठक की सभी कार्यवाहियों के कार्यवृत्त को उस प्रयोजन के लिए रखी गई पुस्तिकाओं में दर्ज करवाएंगा ।

(2) ऐसे कोई कार्यवृत्त, जिन पर उस बैठक, जिसमें कार्यवाहियां की गई थी, के अध्यक्ष द्वारा या अगली उत्तरवर्ती बैठक के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर करना तात्पर्यित है, कार्यवाहियों का साक्ष्य होंगे ।

(3) जब तक कि अन्यथा न साबित किया जाए, प्रत्येक साधारण बैठक, जिसकी कार्यवाहियों के संबंध में इस प्रकार कार्यवृत्त तैयार किया गया है, को सम्यकता बुलाया गया और आयोजित किया गया समझा जाएगा और उसमें की गई सभी कार्यवाहियों को सम्यकता आयोजित किया गया समझा जाएगा ।

अध्याय 5**शेयरधारकों का मतदान का अधिकार**

34. मत देने के अधिकारों का अवधारण—(1) अधिनियम की धारा 19 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए अनुपंगी बैंक का प्रत्येक शेयरधारक, जो अनुपंगी बैंक की साधारण बैठक की तारीख से तीन मास पूर्व से अधिक अवधि से शेयरधारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया है, बैठक के समक्ष रखे जाने वाले प्रत्येक संकल्प पर मत देने का हकदार होगा।

(2) यथा पूर्वोक्त मत देने का हकदार प्रत्येक शेयरधारक, जो कंपनी है, व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी के माध्यम से उपस्थित है या जो कंपनी के रूप में सम्यकता प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से या प्रॉक्सी के माध्यम से उपस्थित है, हाथ उठाने के माध्यम से उसका एक मत होगा और मतदान की दशा में उसके द्वारा धृत प्रत्येक शेयर के लिए उसका एक मत होगा।

35. सम्यकता प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मत देना—(1) अनुपंगी बैंक का कोई शेयरधारक, जो कंपनी है, संकल्प द्वारा या मुख्तारनामे के माध्यम से अपने किसी भी कार्मिक को या किसी अन्य व्यक्ति को अनुपंगी बैंक के शेयरधारकों की साधारण बैठक में उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति (जिसे इन विनियमों में "सम्यकता प्राधिकृत प्रतिनिधि" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) कंपनी, जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहा है, की ओर से उन्हीं शक्तियों का निर्वहन करने का हकदार होगा मानो वह अनुपंगी बैंक का व्यक्तिगत शेयरधारक था। इस प्रकार दिया गया प्राधिकरण वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के पक्ष में हो सकेगा और इस दशा में ऐसे व्यक्तियों में से कोई एक किंतु दोनों नहीं, कंपनी के सम्यकता प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकेगा।

(2) इस विनियम के अधीन दिए गए प्राधिकरण के अनुसरण में किसी व्यक्ति को प्रॉक्सी नहीं समझा जाएगा।

(3) कंपनी के सम्यकता प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में अनुपंगी बैंक के शेयरधारकों की किसी बैठक में कोई व्यक्ति तब तक उपस्थित नहीं हो सकेगा या मतदान नहीं कर सकेगा, जब तक कि बैठक के लिए नियत तारीख से चार स्पष्ट कार्यदिवसों से पूर्व—

(क) उसे सम्यकता प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले संकल्प की एक प्रति, जिसे उस बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा, जिसमें वह संकल्प पारित किया गया था या मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कंपनी सचिव या किसी निदेशक या सम्यकता प्राधिकृत प्रतिनिधि से भिन्न कंपनी के सम्यकता प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित सही प्रति जमा न कर दी गई हो; या

(ख) मुख्तारनामे को कार्य समय के दौरान अनुपंगी बैंक के मुख्यालय में रजिस्ट्रीकृत कर दिया गया हो।

(4) यथापूर्वोक्त रूप में संकल्प की प्रमाणित प्रति को जमा करने के पश्चात् किसी सम्यकता प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति उस बैठक के लिए, जिसके लिए वह की गई थी, अप्रतिसंज्ञणीय होगी और वह कंपनी द्वारा ऐसी बैठक के लिए पूर्व में दी गई किसी प्रॉक्सी को प्रतिसंज्ञित कर देगी।

36. सम्यकता प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किए जाने वाले मतदान द्वारा प्रॉक्सी द्वारा किए गए जाने वाले मतदान को प्रचारित करना—

अनुपंगी बैंक का कोई शेयरधारक, जो कंपनी नहीं है, तब तक प्रॉक्सी द्वारा मत नहीं देगा जब तक अनुपंगी बैंक की किसी साधारण बैठक में विनियम 35 में निर्दिष्ट संकल्प या दिया गया मुख्तारनामा उसके किन्हीं कार्मिकों या अन्य व्यक्ति को उसके सम्यकता प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रचारित रहता है।

37. प्रॉक्सी—(1) प्रॉक्सी का कोई विलेख तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि किसी व्यक्तिगत शेयरधारक की दशा में या उसके द्वारा या सम्यकता प्राधिकृत अटार्नी द्वारा लिखित में या संयुक्त धारकों की दशा में उस पर शेयर रजिस्टर में प्रथमतः नामित शेयरधारक द्वारा यह लिखित में सम्यकता प्राधिकृत उसके अटार्नी द्वारा उस पर हस्ताक्षर न किए जाएं या कंपनी की दशा में वह सामान्य मुद्रा, यदि कोई हो, के अधीन निष्पादित नहीं हो या सम्यकता लिखित में प्राधिकृत अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो :

परंतु प्रॉक्सी के किसी लिखत को पर्याप्त रूप से किसी शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित माना जाएगा जो किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ है, यदि उस पर उसके चिन्ह को चस्पा किया गया है और उसे किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, एशुरेंस के रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या स्टेट बैंक या अनुपंगी बैंक के किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया है।

(2) किसी व्यक्ति को तब तक प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह साधारण बैठक में किसी प्रॉक्सी से भिन्न अन्यथा भाग लेने के लिए हकदार है, परंतु यह उपविनियम किसी कंपनी द्वारा नियुक्ति प्रॉक्सी को लागू नहीं होगा।

(3) कोई प्रॉक्सी तब तक विधिमान्य नहीं होगी जब तक कि उस पर सम्यकता तारीख और स्टाम्प न हो और तब तक भी जब तक कि उसके साथ मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है) न हों, जिनके अधीन वह हस्ताक्षरित है, या उस प्राधिकार की शक्ति की प्रति किसी नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित न हो या मुख्तारनामे की दशा में, जिसे पूर्व में अनुपंगी बैंक के मुख्यालय में जमा और रजिस्ट्रीकृत किया गया था जो अनुपंगी बैंक के प्रबंध निदेशक या इस निमित्त प्रबंध निदेशक द्वारा अनुपंगी बैंक के प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया है, को कार्य समय के दौरान अनुपंगी बैंक के मुख्यालय में बैठक के लिए नियत तारीख से चार स्पष्ट दिन पूर्व जमा नहीं कर दिया गया है।

(4) प्रॉक्सी का कोई लिखत तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि उसे मूल रूप में इन विनियमों की अनुसूची 1 के प्ररूप ग में जमा नहीं कर दिया गया है।

(5) इस प्रकार जमा किया गया प्रॉक्सी का लिखत अप्रतिसंहणीय होगा—

(i) जब तक कि प्रॉक्सियों को जमा करने के अंतिम दिन को या उससे पूर्व अनुपंगी बैंक के मुख्यालय में अनुदत्तकर्ता के हस्ताक्षर या सामान्य मुद्रा के अधीन लिखत में विनिर्दिष्टतया निम्नलिखित का कथन करने वाली सूचना जमा न कर दी गई हो—

(क) उस व्यक्ति का नाम, जिसके पक्ष में लिखत अनुदत्त किया गया था ; और

(ख) यह कि ऐसे लिखत का प्रतिसंहण कर लिया गया है ; या

(ii) जब तक कि उसे उपविनियम (6) के अधीन अविधिमान्य नहीं माना गया है।

वैकल्पिक रूप से दो अनुदाताओं के पक्ष में अनुदत्त प्रॉक्सी लिखत की दशा में प्रतिसंहण की सूचना में दूसरे या वैकल्पिक अनुदाता के नाम का वर्णन करना आवश्यक नहीं होगा परंतु यह कि सूचना अन्यथा संदेह से परे उस प्रॉक्सी के लिखत, जिसको प्रतिसंहृत करने का आशय है, की पहचान करने में पर्याप्त है।

(6) यदि समान शेयरों के संबंध में दो या अधिक प्रॉक्सी लिखत जमा किए गए हैं और यदि प्रॉक्सियों को जमा करने के अंतिम दिन को या उससे पूर्व किंतु ऐसे प्रॉक्सी लिखतों में से किसी एक का उपविनियम (5) में अभिकथित प्रक्रिया के अनुसरण में सम्यकता प्रतिसंहण नहीं किया गया है तो प्रॉक्सी के ऐसे सभी लिखतों को अविधिमान्य माना जाएगा।

(7) किसी प्रॉक्सी लिखत का सम्यकता प्रतिसंहण किसी भी प्रकार से किसी अन्य विधिमान्य प्रॉक्सी विलेख को उस संबंध में उपविनियम (3) में निर्दिष्ट समय के भीतर जमा करने से निवारित नहीं करेगा।

(8) किसी प्रॉक्सी लिखत, जो इस विनियम के अधीन अप्रतिसंहणीय हो गई है, का अनुदाता उस बैठक में जिससे ऐसा लिखत संबंधित है, व्यक्तिगत रूप से मत देने का हकदार नहीं होगा।

38. अनुपंगी बैंक के किसी कर्मचारी की सम्यकता प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्ति का अविधिमान्य होना—कोई व्यक्ति, जो अनुपंगी बैंक अधिकारी या कर्मचारी है, को अनुपंगी बैंक की किसी साधारण बैठक के संबंध में सम्यकता प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।

अध्याय 6

निदेशकों का निर्वाचन

39. साधारण बैठक में निदेशकों का निर्वाचन किया जाना—(1) अनुपंगी बैंक के शेयरधारकों के निदेशक का निर्वाचन अनुपंगी बैंक के शेयरधारकों की साधारण बैठक में होगा।

(2) जब अनुपंगी बैंक के शेयरधारकों की किसी साधारण बैठक में किसी निदेशक का निर्वाचन किया जाना है, तो ऐसे निर्वाचन की सूचना को बैठक बुलाने की सूचना में शामिल किया जाएगा। ऐसी प्रत्येक सूचना में निर्वाचन किए जाने वाले निदेशकों की संख्या और रिकित्तियों की विशिष्टियों, जिनके संबंध में निर्वाचन आयोजित किया जाना है, को भी विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

40. शेयरधारकों की सूची—(1) अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन अनुपंगी बैंक के निदेशक के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए अनुपंगी बैंक के शेयर रजिस्ट्रार में दर्ज शेयरधारकों की एक सूची तैयार की जाएगी।

(2) ऐसी सूची में शेयरधारकों के नाम, उनके रजिस्ट्रीकृत पते, उस तारीख सहित, जिसको शेयर रजिस्ट्रीकृत किए गए थे, उनके द्वारा धृत शेयरों के नंबर, उनको उपदर्शित करने वाली संख्या तथा उन मतों की संख्या, जिसके लिए वह उस बैठक के लिए नियत तारीख को, जिसको निर्वाचन किया जाना है, मत देने के हकदार होंगे और सूची की प्रतियां बैठक के लिए नियत तारीख से कम से कम तीन सप्ताह पूर्व उस मूल्य पर, जो बोर्ड या कार्यपालक समिति द्वारा समय-समय पर प्रति प्रति नियत किया जाए, अनुपंगी बैंक के मुख्यालय में किए गए आवेदन पर क्रय करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी।

41. निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों का नामनिर्देशन—(1) अनुपंगी बैंक के निदेशक के निर्वाचन के लिए किसी अभ्यर्थी को विधि पूर्वक तब तक नामनिर्देशित नहीं किया जाएगा, जब तक :--

(क) वह नामनिर्देशन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को अधिनियम की धारा 25क और धारा 27 के अधीन निदेशक के रूप में नामनिर्देशन के लिए अर्हित हो ;

(ख) नामनिर्देशन अभ्यर्थी से भिन्न मत देने के लिए अर्हित कम से कम दो शेयरधारकों द्वारा लिखित में हस्ताक्षरित हो या उनके सम्यकता गठित अटार्नियों द्वारा हस्ताक्षरित हो, परंतु यह कि किसी शेयरधारक द्वारा नामनिर्देशन, जो कोई निगमित निकाय है, उक्त निगमित निकाय के निदेशकों द्वारा संकल्प द्वारा किया जा सकेगा और जहां वह इस प्रकार किया जाता है, उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा, जिसमें वह पारित किया गया था या मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कंपनी सचिव या किसी निदेशक या अभ्यर्थी से भिन्न निगमित निकाय द्वारा सम्यकता प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संकल्प की सही प्रति के रूप में प्रमाणित प्रति अनुपंगी बैंक के मुख्यालय को प्रेषित की जाएगी और ऐसी प्रति को ऐसे निगमित निकाय की ओर से नामनिर्देशन समझा जाएगा ;

(ग) किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, एसुरेन्स रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या स्टेट बैंक या अनुपंगी बैंक के किसी अधिकारी के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा को अंतर्विष्ट करने वाला नामनिर्देशन कागज-पत्र कि वह नामनिर्देशन को स्वीकार करता है और निर्वाचन में खड़ा होने के लिए इच्छुक है और वह अधिनियम की धारा 25क और धारा 27 के अधीन निदेशक बनने के लिए निरर्हित नहीं है ;

(घ) उसने उसके द्वारा अकेले या अन्य के साथ संयुक्त रूप से धृत अनुपंगी बैंक के शेयरों, यदि कोई हों, के संबंध में ऐसे शेयरों के संबंध में काल के संदाय के लिए अंतिम नियत तारीख से पूर्व सभी कालो का संदाय कर दिया है ।

(2) कोई भी नामनिर्देशन तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक वह अनुपंगी बैंक के मुख्यालय में किसी कार्यदिवस को बैठक के लिए नियत तारीख से कम से कम 14 स्पष्ट दिन से पूर्व सभी संबंधित दस्तावेजों या कागजपत्रों के साथ प्राप्त नहीं कर लिया जाता है ।

42. अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन—(1) नामनिर्देशन प्राप्त करने के लिए नियत अंतिम तारीख के पश्चातवर्ती पहले कार्यदिवस को उस पर प्रबंध निदेशक द्वारा विचारण किया जाएगा । प्रबंध निदेशक ऐसी जांच, यदि कोई हो, जैसा वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् विनियम 41 के उपबंधों के संबंध में अपना समाधान करने पर और प्रत्येक अभ्यर्थी के नामनिर्देशन को स्वीकार या अस्वीकार करेगा, जैसा उसे न्यायोचित प्रतीत हो और अस्वीकार करने की दशा में वैसा करने के कारणों को संक्षिप्त में अभिलिखित करेगा । प्रबंध निदेशक का इस संबंध में विनिश्चय कि कोई नामनिर्देशन विधिमान्य है या अविधिमान्य विनियम 44 के अधीन किसी निर्देश के परिणाम के अधीन रहते हुए अंतिम होगा । यदि निर्वाचन द्वारा भरे जाने के लिए किसी विशिष्ट रिक्ति के लिए केवल एक विधिमान्य नामनिर्देशन हो तो उस रिक्ति के लिए विधिमान्य नामनिर्देशित अभ्यर्थी को उस प्रयोजन के लिए बुलाई गई बैठक में निर्वाचित समझा जाएगा और उसके नाम और पते को इस प्रकार निर्वाचित के रूप में प्रकाशित किया जाएगा । ऐसी दशा में बैठक में कोई निर्वाचन नहीं होगा और यदि केवल एकमात्र पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए कोई बैठक बुलाई गई थी तो बैठक रद्द हो जाएगी । यदि किसी विशिष्ट रिक्ति के लिए विधिमान्य नामनिर्देशन एक से अधिक हो जाते हैं तो प्रबंध निदेशक निर्वाचन द्वारा उस रिक्ति को भरने के लिए विधिमान्य नामनिर्देशित अभ्यर्थियों के नाम और पते को प्रकाशित करवाएगा ।

(2) उपविनियम (1) के अनुसरण में सभी सूचनाएं भारत में व्यापक परिचालन रखने वाले कम से कम दो समाचार-पत्रों में प्रकाशित की जाएंगी ।

(3) प्रबंध निदेशक उसके द्वारा जारी प्रत्येक सूचना की प्रति तुरंत अध्यक्ष को भेजेगा ।

43. निर्वाचित अभ्यर्थियों द्वारा पदभार ग्रहण करना—किसी विधिमान्य रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित निदेशक द्वारा उस तारीख के पश्चातवर्ती तारीख को, जिसको वह निर्वाचित होता है या निर्वाचित हुआ माना जाता है, द्वारा पदभार ग्रहण किया गया समझा जाएगा ।

44. निर्वाचन विवाद—(1) यदि किसी व्यक्ति, जिसे निर्वाचित माना गया है या निर्वाचित घोषित किया गया है कि अर्हता या निरर्हता के संबंध में या अनुपंगी बैंक के निदेशक के निर्वाचन की विधिमान्यता पर कोई विवाद उद्भूत होता है तो हितबद्ध कोई व्यक्ति, जो अभ्यर्थी है या ऐसे निर्वाचन में मत देने का हकदार कोई शेयरधारक है, इस बाबत अध्यक्ष को अनुपंगी बैंक के प्रबंध निदेशक के माध्यम से लिखित में संसूचित करेगा और उक्त संसूचना में उन आधारों, जिन पर वह निर्वाचन की वैधता पर संदेह करता है या विवाद है, की पूरी विशिष्टियां देगा ।

(2) उपविनियम (1) के अधीन किसी संसूचना की प्राप्ति पर, अध्यक्ष तुरंत ऐसे संदेह या विवाद को किसी समिति, जो उसके द्वारा और अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में नामनिर्दिष्ट अनुपंगी बैंक के निदेशक तथा अधिनियम की उस धारा के खंड (ग) के अनुसरण में नामनिर्दिष्ट किसी एक निदेशक से मिलकर बनेगी, को विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट करेगा ।

(3) समिति ऐसी जांच करेगी, जो वह आवश्यक समझे और निर्देश का उसकी प्राप्ति के 60 दिन के भीतर विनिश्चय करेगी और यदि वह यह पाती है कि निर्वाचन विधिमान्य निर्वाचन था तो वह निर्वाचन के घोषित परिणाम की पुष्टि करेगी या यदि वह यह पाती है कि निर्वाचन विधिमान्य निर्वाचन नहीं था तो वह ऐसा आदेश करेगी और ऐसे निदेश देगी जिसके अंतर्गत नया निर्वाचन आयोजित करना भी है, जो समिति को परिस्थितियों में न्यायोचित प्रतीत हो ।

(4) इस विनियम के अनुसरण में ऐसी समिति का कोई आदेश और निदेश निश्चायक होगा ।

अध्याय 7

बोर्ड, उसकी कार्यपालक समिति और अन्य समितियां

45. बोर्ड की बैठकें—(1) बोर्ड की बैठकें अनुपंगी बैंक के अध्यक्ष द्वारा या उसके द्वारा दिए जाने वाले निदेश के अधीन रहते हुए प्रबंध निदेशक द्वारा प्रत्येक वर्ष कम से कम छह बार और प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बुलाई जा सकेंगी ।

(2) कोई अन्य तीन निदेशक, जो स्टेट बैंक के अधिकारी नहीं हैं, अध्यक्ष से बोर्ड की किसी भी समय बैठक बुलाने की अपेक्षा कर सकेंगे और अध्यक्ष अध्यक्षता की प्राप्ति पर पर्याप्त सूचना देते हुए बोर्ड की बैठक बुला सकेगा परंतु यह कि इस प्रकार बुलाई गई बैठक की तारीख अध्यक्ष की प्राप्ति की तारीख से 21 दिन के पश्चात् नहीं होगी ।

(3) बोर्ड की बैठकें अनुपंगी बैंक के मुख्यालय या ऐसी किसी अन्य स्थान पर जैसा बैठक बुलाने की सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, आयोजित की जाएंगी ।

(4) साधारणतया, बोर्ड की प्रत्येक बैठक के लिए 15 दिन से अन्यून की सूचना नहीं दी जाएगी और ऐसी सूचना प्रत्येक निदेशक को उसके रजिस्ट्रीकृत पते पर भेजी जाएगी। कोई आपात बैठक बुलाना आवश्यक पाए जाने पर भारत में प्रत्येक निदेशक को उसे उसमें भाग लेने के लिए समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त सूचना दी जाएगी।

(5) उस कारबार से भिन्न, जिसके लिए बैठक बुलाई गई थी, किसी कारबार पर बोर्ड की बैठक में विचार-विमर्श नहीं किया जाएगा सिवाय बैठक के अध्यक्ष और बैठक में उपस्थित या वीडियो संगोष्ठी के माध्यम से निदेशकों के बहुमत की सहमति के, जब तक कि उसके विषय में प्रबंध निदेशक द्वारा एक सप्ताह की सूचना न दी गई हो।

(6) वीडियो संगोष्ठी के माध्यम से बोर्ड की बैठक में किसी निदेशक की सहभागिता केवल तभी विधिमान्य होगी जब ऐसी सहभागिता बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट अनुपंगी बैंक या स्टेट बैंक के किसी कार्यालय से की जाए।

(7) चार निदेशक, जिसमें से एक अध्यक्ष या स्टेट बैंक के अधिकारी के रूप में अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन अनुपंगी बैंक का निदेशक होगा, कारबार के संव्यवहार के लिए गणपूर्ति होंगे।

(8) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों की प्रति तत्पश्चात् यथासंभवशीघ्र निदेशकों की सूचना के लिए परिचालित की जाएगी और उस पर उस बैठक की या पश्चातवर्ती अगली बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

46. बोर्ड की बैठक के बिना संकल्प का विधिमान्य होना—(1) बोर्ड के निदेशकों के बहुमत द्वारा हस्ताक्षरित लिखित संकल्प विधिमान्य और प्रभावशील होगा और वह बोर्ड द्वारा उस तारीख को पारित संकल्प समझा जाएगा, जिसको उस पर संकल्प के अंतिम हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे :

परंतु संकल्प की प्राप्ति के 7 दिन के भीतर कोई असहमत निदेशक लिखित में अपेक्षा करता है कि इस प्रकार पारित संकल्प को बोर्ड की बैठक के समक्ष रखा जाए तो संकल्प को यथापूर्वोक्त विधिमान्य और प्रभावशील तब तक नहीं समझा जाएगा जब तक कि उसे ऐसी बैठक में पारित न कर दिया जाए।

(2) उपविनियम (1) की कोई बात अनुपंगी बैंक द्वारा ऋण या अग्रिम या छूट प्रदान करने या विलों के क्रय से संबंधित किसी विषय की बाबत किसी संकल्प को लागू नहीं होगी।

47. कार्यपालक समिति का गठन और शक्तियां—(1) किसी अनुपंगी बैंक की बाबत कार्यपालक समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी—

(क) अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) या धारा 32 के अधीन नियुक्त अनुपंगी बैंक का प्रबंध निदेशक ;

(ख) अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन नामनिर्दिष्ट तीन निदेशक, जिनमें से दो से अनधिक स्टेट बैंक के अधिकारी होंगे ; और

(ग) अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन निर्वाचित एक निदेशक :

परंतु अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट अध्यक्ष और निदेशक कार्यपालक समिति की किसी भी बैठक में भाग ले सकेंगे और अध्यक्ष या ऐसा निदेशक उस बैठक के लिए जिसमें वह इस प्रकार भाग लेता है, कार्यपालक समिति का निदेशक समझा जाएगा।

(2) उपविनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उस उपविनियम में निर्दिष्ट नहीं किया गया कोई भी निदेशक कार्यपालक समिति की बैठक में भाग लेने का हकदार होगा और वह इस प्रकार भाग ली गई बैठक में कार्यपालक समिति का निदेशक समझा जाएगा ; किंतु वह उस बैठक में भाग लेने के लिए किसी फीस का संदाय किए जाने का या बैठक के कार्य के संबंध में यात्रा या रुकने के व्ययों की प्रतिपूर्ति किए जाने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि उससे अनुपंगी बैंक द्वारा ऐसी बैठक में भाग लेने के लिए अनुरोध न किया गया हो या ऐसे संदाय विनिर्दिष्ट रूप से बोर्ड द्वारा प्राधिकृत नहीं किए गए हों।

(3) उपविनियम (1) के खंड (ख) और खंड (ग) में निर्दिष्ट निदेशक स्टेट बैंक द्वारा कार्यपालक समिति में किसी एक समय एक वर्ष की सेवा करने के लिए नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

(4) अपनी शक्तियों के निर्वहन में कार्यपालक समिति ऐसे साधारण या विशेष निदेशों द्वारा आबद्ध होगी जैसा बोर्ड समय-समय पर अधिनियम और इन विनियमों से सुसंगत निदेश दे, किंतु किसी ऐसे निदेश के अधीन रहते हुए कार्यपालक समिति अनुपंगी बैंक के सभी चालू कारबार का संव्यवहार कर सकेगी।

(5) यदि इस विषय में कोई प्रश्न उदभूत होता है कि क्या कोई विषय अनुपंगी बैंक के चालू कारबार से संबंधित है तो बैठक के अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा।

48. कार्यपालक समिति की बैठकें—(1) कार्यपालक समिति की बैठक मास में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी, कार्यपालक समिति के निदेशकों को बैठक में भाग लेने के लिए पर्याप्त सूचना दी जाएगी।

(2) बैठक में उपस्थित या वीडियो संगोष्ठी के माध्यम से तीन निदेशक, जिनमें से एक अध्यक्ष होगा या एक निदेशक अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन नामनिर्दिष्ट स्टेट बैंक का अधिकारी कारबार के संव्यवहार के लिए गणपूर्ति होंगे :

परंतु किसी भी समय अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (5) के अर्थ में हितबद्ध या संबद्ध निदेशकों की संख्या दो से अधिक होती है या दो होती है तो शेष निदेशक (अर्थात् ऐसे निदेशकों की संख्या, जो इस प्रकार हितबद्ध या संबंधित नहीं हैं) ऐसे समय के दौरान गणपूर्ति होंगे। तथापि, यह कि उस समय मद देने के हकदार कम से कम दो निदेशक उपस्थित हैं।

(3) इस अधिनियम के उपबंध इस विनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय कार्यपालक समिति की बैठकों को ऐसे लागू होंगे जैसे वे बोर्ड की बैठकें, जिसके अंतर्गत परिचालन द्वारा पारित संकल्प भी है, थी।

49. अन्य समितियां—(1) अन्य समितियों का गठन ऐसी समितियों की शक्तियां और कृत्य तथा ऐसी समितियों में कारबार का संचालन वह होगा, जो अनुपंगी बैंक के संबंध में समय-समय पर बोर्ड द्वारा अभिकथित किया जाए।

(2) ऐसी प्रत्येक समिति की बैठक का कार्यवृत्त कार्यपालक समिति या अनुपंगी बैंक के बोर्ड के समक्ष प्रत्येक बैठक के पश्चात् यथाशीघ्र रखा जाएगा।

अध्याय 8

प्रबंध निदेशक

50. प्रबंध निदेशक को प्रत्यायोजन—(1) प्रबंध निदेशक को अनुपंगी बैंक के चालू कारबार, जिसका कार्यपालक समिति द्वारा संव्यवहार किया जा सकेगा, का संव्यवहार करने की शक्ति होगी, यदि प्रबंध निदेशक के मत में कार्यपालक समिति की अगली बैठक तक कार्रवाई को या संकल्प को परिचालित करने के द्वारा कार्यपालक समिति का विनिश्चय अभिप्राप्त करने तक आस्थगित नहीं किया जा सकता है परंतु ऐसी कार्रवाई की रिपोर्ट अगली बैठक में कार्यपालक समिति को की जाएगी।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रबंध निदेशक निम्नलिखित के लिए प्राधिकृत होगा :

(क) उसे प्रत्येक दशा में किसी विनियम, नियम, आदेश, संकल्प या मुख्तारनामे में अंतर्विष्ट निर्बंधनों, यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए उक्त विनियम या बोर्ड द्वारा बनाए गए नियम या बोर्ड या कार्यपालक समिति के किसी आदेश या संकल्प या उसके पक्ष में बोर्ड या कार्यपालक समिति द्वारा जारी मुख्तारनामे द्वारा शक्तियों का निर्वहन करने और उसे सौंपे गए या प्रत्यायोजित कर्तव्यों का निष्पादन करने ; और

(ख) साधारणतया ऐसे कृत्यों या चीजों को करने, जो उक्त शक्तियों के निर्वहन या ऐसे कर्तव्यों के निष्पादन की आनुषंगिक या पारिणामिक हो सकेंगे।

(3) यदि तत्समय प्रबंध निदेशक का पद रिक्त है तो उपविनियम (1) और उपविनियम (2) के अधीन प्रबंध निदेशक की शक्तियों और कर्तव्यों का उपयोग या निष्पादन, जब तक कि प्रबंध निदेशक की नियुक्ति न कर दी जाती है, का उपयोग या निष्पादन अनुपंगी बैंक के ऐसे निदेशक या अन्य अधिकारी द्वारा किया जाएगा जैसा स्टेट बैंक इस निमित्त नियुक्त करे।

अध्याय 9

निदेशकों की फीस और भत्ते

51. निदेशकों की फीस—कोई निदेशक, जो प्रबंध निदेशक नहीं है या केंद्रीय सरकार या रिजर्व बैंक या स्टेट बैंक के किसी अधिकारी को अनुपंगी बैंक द्वारा निम्नलिखित दरों पर फीस का संदाय किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए प्रति बैठक 20,000 रुपए या ऐसा पुनरीक्षित रकम जैसा परामर्श दिया जाए या केंद्रीय सरकार द्वारा पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए समय-समय पर अधिसूचित की जाए और ऐसी पुनरीक्षित रकम को पूर्वोक्त वर्णित रकम के स्थान पर प्रतिस्थापित की गई समझी जाएगी ;

(ख) कार्यपालक समिति या बोर्ड की अन्य समिति की बैठक में भाग लेने के लिए 10,000 रुपए या ऐसा पुनरीक्षित रकम जैसा परामर्श दिया जाए या केंद्रीय सरकार द्वारा पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए समय-समय पर अधिसूचित की जाए और ऐसी पुनरीक्षित रकम को पूर्वोक्त वर्णित रकम के स्थान पर प्रतिस्थापित की गई समझी जाएगी ;

(ग) अनुपंगी बैंक के किसी अन्य कार्य में भाग लेने के लिए ऐसी दर, जैसा केंद्रीय सरकार द्वारा पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए परामर्श दिया जाए या ऐसी राशि जैसा बोर्ड अंतर्वलित कार्य की प्रकृति और रकम के संबंध में समय-समय पर नियत करें।

52. निदेशकों का यात्रा और ठहरना भत्ता—(1) फीस, जिसके लिए विनियम 51 के अधीन अनुपंगी बैंक का निदेशक हकदार है, के अतिरिक्त प्रत्येक ऐसे निदेशक को, जो अनुपंगी बैंक के कार्य से संबंधित यात्रा कर रहा है, को उसके यात्रा और ठहरने के व्यय, यदि कोई हैं, की ऐसे आधार पर जैसा समय-समय पर बोर्ड द्वारा नियत किया जाए, प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(2) कोई निदेशक, जो सरकार, रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक का अधिकारी है, को उसे लागू नियमों के अनुसार यात्रा और ठहरने के व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

अध्याय 10**ऋण और अग्रिम**

53. धारा 37 के अधीन आदेश और स्टेट बैंक की शक्तियों का प्रभावित नहीं होना—इस अध्याय के उपबन्ध निम्नलिखित के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे—

- (i) अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (2) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा जारी कोई आदेश ; और
- (ii) स्टेट बैंक द्वारा अधिनियम और इन विनियमों के उपबन्धों के अधीन दिए गए निदेश और अनुदेश ।

54. अग्रिम आदि के लिए शर्तें और अपेक्षाएं—कोई अनुपंगी बैंक—

- (क) ऐसी रकम से अधिक जैसा स्टेट बैंक इस निमित्त नियत करे सिवाय किसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति, छूट या क्रय बिल या अग्रिम या कोई उधार या अग्रिम नहीं प्रदान करेगा ;
- (ख) किसी व्यक्ति या भागीदारी फर्म, जिसके अंतर्गत संयुक्त हिन्दू कुटुंब फर्म है, की उस स्थान पर संदेय, जहां वह छूट, क्रय, उधार या अग्रिम के लिए प्रस्तुत की जाती है, किसी अपराक्रम्य लिखत की प्रतिभूति पर कोई छूट या क्रय या उधार या अग्रिम प्रदान नहीं करेगा, यदि उस पर साधारण भागीदारी में एक-दूसरे से असंबंधित कम से कम दो व्यक्तियों के अनेक उत्तरदायित्व नहीं है और उनमें से प्रत्येक पराक्रम्य लिखत की रकम के लिए अच्छा है ;
- (ग) किसी पराक्रम्य लिखत या प्रतिभूति (जो विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या कोई लिखत या प्रतिभूति नहीं है, जिसमें न्यासी भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 20 के अधीन न्यास धन का विनिधान कर सकता है), जो ऐसी छूट, क्रय, ऋण या अग्रिम की तारीख से 15 मास के भीतर परिपक्व नहीं होती है, यदि विनिधान या प्रतिभूति को मौसमी कृषि सक्रियाओं के वित्तपोषण के लिए आहरित या जारी किया जाता है और पूर्वोक्त की तारीख से छह मास के भीतर यदि लिखत या प्रतिभूति को किसी अन्य प्रयोजन के लिए आहरित या जारी किया जाता है ; और
- (घ) 12 मास की अवधि से अधिक अवधि के लिए ऋण या अग्रिम प्रदान करता है, सिवाय जैसा इन विनियमों में उपबन्धित है ।

55. विशेष उपबन्ध—विनियम 54 में अंतर्विष्ट कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी—

- (क) ग्राहकों के खाते, जिनका स्टेट बैंक द्वारा यथा नियत प्रतिभूति के साथ या उसके बिना उस सीमा तक अध्यादान किया जा रहा है ;
- (ख) निम्नलिखित को ऋण या अग्रिम देना :--
 - (i) भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित जिला बोर्ड, नगरपालिक समिति या अन्य स्थानीय प्राधिकरण को उस अवधि के लिए, जो इस निमित्त स्टेट बैंक द्वारा नियत की जाए ;
 - (ii) अवक्रय संव्यवहारों के वित्तपोषण में लगे हुए व्यक्तियों को ऐसी प्रतिभूति पर, जो इस निमित्त स्टेट बैंक द्वारा अनुमोदित की जाए, पर 24 मास से अनधिक अवधि के लिए ; और
 - (iii) ऐसे व्यक्ति को, ऐसे प्रयोजनों के लिए ऐसी प्रतिभूति पर और ऐसे निबंधनों पर, जैसा समय-समय पर स्टेट बैंक विनिर्दिष्ट करें :
- परंतु उन मामलों में, जहां ऋण या अग्रिम की रकम एक लाख रुपए से अधिक होती है तो स्टेट बैंक रिजर्व बैंक के अनुमोदन से ऐसे व्यक्तियों को, प्रयोजनों को, प्रतिभूति और निबंधनों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा ;
- (ग) ऐसे उद्योगों, कारबार या व्यापार में लगे हुए व्यक्तियों के निमित्त या उद्योगों, कारबार या व्यापार के वर्गों को ऋण या अग्रिम प्रदान करना या मितिकाटा या पराक्रम्य लिखतों का ऐसे निबंधनों और शर्तों पर तथा ऐसी प्रतिपूर्ति पर, जैसा इस निमित्त स्टेट बैंक द्वारा इस निमित्त अनुमोदित किया जाए, क्रय करना, परंतु ऐसे ऋण या अग्रिम और ऐसे पराक्रम्य लिखत 15 वर्ष से अनधिक अवधि के भीतर परिपक्व हो जाएंगे ;
- (घ) बीजकों का मितिकाटा या क्रय करना या नवीकरण में धन उधार देना या अग्रिम देना या किसी ठहराव या समझौते के लिए नियत दिन से पूर्व मितिकाटा दिए गए बीजकों या क्रय किए गए ऋणों या दिए गए अग्रिम ।

56. कर्मचारियों द्वारा ऋणों और अग्रिमों पर निर्बंधन—(1) कोई कर्मचारी अनुपंगी बैंक की ओर से स्वयं को या किसी संयुक्त कुटुंब को, जिसमें वह सदस्य है या किसी भागीदारी फर्म को, जिससे वह किसी भी रूप में संबद्ध है या किसी न्यास को जिसमें वह न्यासी है या किसी प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी को, जिसमें वह सारवान हित रखता है, कोई ऋण या उधार अनुदत्त नहीं करेगा ।

(2) अन्यथा विहित और सिवाय विनिर्दिष्ट प्रतिभूति के या उन मामलों में, जो समय-समय पर बोर्ड द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट किए जाएं, कोई कर्मचारी अनुपंगी बैंक की ओर से निम्नलिखित को कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं करेगा—

- (क) अपने नातेदारों को ;
- (ख) किसी व्यक्ति को, जिसके संबंध में उसका कोई नातेदार, भागीदार या गारंटर है ;
- (ग) कोई संयुक्त कुटुंब जिसमें उसका नातेदार सदस्य है ;
- (घ) कोई फर्म, जिसमें उसका नातेदार भागीदार, प्रबंधक या गारंटर है ; और
- (ङ) कोई कंपनी, जिसमें उसके नातेदार सारवान हित रखते हैं या निदेशक, प्रबंधक या गारंटर के रूप में हितबद्ध है ।

57. अग्रिमों की स्टेट बैंक को रिपोर्ट किया जाना—(1) अनुदत्त किया गया या नवीकृत किया गया कोई ऋण या अग्रिम या छूट प्रदान किया गया कोई बीजक, जो उधार लेने वाली की अनुपंगी बैंक के प्रति बिना किसी प्रतिभूति के या किसी प्रतिभूति पर ऋणता को इस निमित्त स्टेट बैंक द्वारा नियत रकम से बढ़ा देता है तो उसकी स्टेट बैंक को तुरंत रिपोर्ट की जाएगी ।

(2) उपविनियम (1) के प्रयोजन के लिए अनुपंगी बैंक के प्रति ऋणता में परिवर्तनशील खाते में स्वीकृत अधिकतम आहरण शक्तियों और दस्तावेजी बीजकों में छूट के लिए स्वीकृत अधिकतम सीमा को शामिल माना जाएगा तथापि, वास्तविक आहरण शक्तियां या छूट प्रदान किए गए बीजक अधिकतम आहरण शक्तियों और स्वीकृत सीमा से कम हैं ।

58. बैंक के निदेशकों और अधिकारियों को अग्रिम—(1) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 20 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति के सिवाय अनुपंगी बैंक द्वारा कोई ऋण या अग्रिम निम्नलिखित को नहीं दिया जाएगा—

(क) उसके किसी निदेशक को या अधिकारियों को, जो उस रूप में नियुक्त किए गए हैं, जैसा बोर्ड द्वारा ज्येष्ठ कर्मचारिवृंद नियुक्तियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है ; या

(ख) कंपनियों या फर्मों या व्यष्टियों को, जिनके साथ ऐसे निदेशक या अधिकारी भागीदारों, निदेशकों या प्रबंधकों के रूप में संबद्ध है, सिवाय ऐसे निबंधनों और शर्तों के जैसा स्टेट बैंक अनुपंगी बैंक की सिफारिश पर समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे ।

(2) उपविनियम (1) में निर्दिष्ट से भिन्न अनुपंगी बैंक के किसी अधिकारी या कर्मचारी को कोई ऋण या अग्रिम प्रत्येक मामले में अनुपंगी बैंक की कार्यपालक समिति की विनिर्दिष्ट स्वीकृति के बिना अनुदत्त नहीं किया जाएगा यदि ऐसा ऋण या अग्रिम बोर्ड या कार्यपालक समिति द्वारा अनुमोदित निबंधनों और शर्तों के अनुसार अनुदत्त नहीं किया गया है या किसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति पर अनुदत्त नहीं किया गया है ।

59. शेयरों और डिबेंचरों में विनिधान के लिए स्टेट बैंक के अनुमोदन का आवश्यक होना—अनुपंगी बैंक अपनी निधियों का स्टेट बैंक के अनुमोदन के बिना ऐसी रकम से अधिक और ऐसे निबंधनों और शर्तों के बिना जैसा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए, सीमित दायित्व वाली किसी कंपनी के शेयरों और डिबेंचरों में विनिधान नहीं करेगा ।

60. निदेशकों द्वारा उन कंपनियों के नामों को अधिसूचित करना, जिनमें वे हितबद्ध हैं—अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (5) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रत्येक निदेशक प्रबंध निदेशक को उन कंपनियों के नामों को अधिसूचित करेगा जिनमें वह हितबद्ध है और वह इस तथ्य का किसी भी समय प्रकटन भी करेगा जब उक्त कंपनी को किसी ऋण या अग्रिम को देने पर विचार किया जा रहा है ।

61. हितबद्ध निदेशकों के साथ संविदाएं और इंतजाम—अधिनियम या इन विनियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय कोई संविदा या इंतजाम (अनुपंगी बैंक द्वारा उसके बैंककारी कारबार के सामान्य प्रक्रम में संविदा या इंतजाम से भिन्न) में अनुपंगी बैंक या उसकी ओर से, जिसमें कोई निदेशक प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संबद्ध है या हितबद्ध है, सिवाय स्टेट बैंक के अनुमोदन के प्रविष्ट नहीं होगा ।

62. स्टेट बैंक का अनुमोदन सामान्य या विनिर्दिष्ट हो सकेगा—जहां इस अध्याय के उपबंधों के अधीन स्टेट बैंक द्वारा कोई सीमा नियत की जानी है या किसी प्रस्ताव, इंतजाम या विनिधान या कोई ऋण या अग्रिम अनुदत्त किए जाने के लिए या बीजकों पर छूट या क्रय करने या उनके लिए निबंधनों और शर्तों पर स्टेट बैंक का अनुमोदन आवश्यक है तो ऐसी सीमा को नियत किया जा सकेगा या ऐसा अनुमोदन अनुपंगी बैंक को किसी विशिष्ट संव्यवहार या संव्यवहारों के वर्ग या सामान्यतः प्रदान किया जा सकेगा ।

अध्याय 11

प्रकीर्ण

63. रीति और प्ररूप, जिसमें अनुपंगी बैंक पर बाध्यकर संविदाएं निष्पादित की जा सकेंगी—(1) अनुपंगी बैंक की ओर से संविदाएं निम्नानुसार की जा सकेंगी :-

(क) किसी संविदा, यदि वह प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा की गई है, का विधि द्वारा लिखित, उससे प्रभारित पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित होना अपेक्षित है, उसे अनुपंगी बैंक की ओर से कृत्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा उसके अभिव्यक्त या विवक्षित प्राधिकार के अधीन और उसी रीति में परिवर्तित या उसका निर्वहन किया जा सकेगा ;

(ख) कोई संविदा, जिसे यदि प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा किया गया है, विधि में मान्य होगी तथापि, केवल पैरोल द्वारा की गई है और लिखित नहीं है, उसे अनुपंगी बैंक की ओर से कृत्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा उसके अभिव्यक्त या विवक्षित प्राधिकार के अधीन और उसी रीति में परिवर्तित या उसका निर्वहन किया जा सकेगा।

(2) इस विनियम के उपबंधों के अनुसार की गई सभी संविदाएं विधि में प्रभावी होंगी और अनुपंगी बैंक और उसमें सभी अन्य पक्षकारों तथा उनके विधिक प्रतिनिधियों पर आवद्ध होंगी।

64. अनुपंगी बैंक के लेखे, प्राप्तियां और दस्तावेज पर जिस द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं—अनुपंगी बैंक का प्रबंध निदेशक, मुख्य महाप्रबंधक और ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी, जैसा बोर्ड या कार्यपालक समिति इस निमित्त भारत के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत करे, उस विस्तार और ऐसी सीमा, यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए जैसा इस प्रकार प्राधिकरण करते हुए बोर्ड या कार्यपालक समिति विनिर्दिष्ट या अधिरोपित करे, एतद्वारा पृथक्: अनुपंगी बैंक के लिए और उसके निमित्त अनुपंगी बैंक के वर्तमान या प्राधिकृत कारबार से संबद्ध सभी दस्तावेजों, लिखतों, लेखाओं, प्राप्तियों, पत्रों और सूचना पर हस्ताक्षर करने के लिए सशक्त होंगे और विशेषतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वचनपत्रों, स्टॉक प्राप्तियों, स्टॉक डिबेंचरों, शेयरों, प्रतिभूतियों और माल के मालिकाना दस्तावेजों, जो अनुपंगी बैंक के नाम हों या उसके द्वारा धृत हों या उसकी ओर से उसके प्रतिकूल किसी करार की अनुपस्थिति में, किसी व्यक्ति द्वारा धृत या उसकी ओर से धृत, फर्म कंपनी या निगम, जिसके लिए या जिसकी ओर से व्यक्ति, फर्म कंपनी या अनुपंगी बैंक के निगम को अटार्नी के रूप में गठित किया गया है, को पृष्ठांकित और अंतरित करने के लिए प्राधिकृत होगा, वह विनिमय बीजकों और चैंकों को आहरित, स्वीकृत और पृष्ठांकित जारी करने, पुष्टि करने और प्रत्यय पत्रों को अंतरित करने तथा गारंटियों और क्षतिपूर्तियों पर हस्ताक्षर करने के लिए सशक्त होगा।

65. वाद पत्र आदि पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे—प्रबंध निदेशक या विनियम 64 के अधीन अनुपंगी बैंक के लिए और उसकी ओर से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए सशक्त कोई अधिकारी या कर्मचारी वाद पत्र, लिखित कथन, याचिकाएं, आवेदन और अन्य अभिवचनों पर हस्ताक्षर कर सकेगा और सत्यापन कर सकेगा, शपथ-पत्र ले सकेगा या पुष्टि कर सकेगा, बंधपत्रों पर हस्ताक्षर कर सकेगा, सील कर सकेगा और परिदान कर सकेगा तथा साधारणतया सभी अन्य दस्तावेज, जो विधिक और/या अन्य कार्यवाहियों से संबद्ध हैं, पर हस्ताक्षर कर सकेगा।

66. निदेशकों की निरर्हताओं को अधिसूचित करने की बाध्यता—(1) यदि अनुपंगी बैंक का कोई निदेशक अधिनियम की धारा 27 में दी गई किसी भी निरर्हता का पात्र हो जाता है तो वह तुरंत उस तथ्य से और उस तारीख से, जिसको उसे निरर्हता लागू होती है, अनुपंगी बैंक के प्रबंध निदेशक को अधिसूचित करेगा।

(2) प्रबंध निदेशक बोर्ड और स्टेट बैंक को यथाशीघ्र उसकी सूचना में अनुपंगी बैंक के निदेशक के अधिनियम की धारा 27 में विनिर्दिष्ट किसी भी अर्हता का पात्र होने से संसूचित करेगा।

67. अनुपंगी बैंक की मुहर—(1) अनुपंगी बैंक की सामान्य मुहर किसी लिखत पर चस्पा नहीं की जाएगी सिवाय कम से कम दो निदेशकों की उपस्थिति के, जो अपने हस्ताक्षर उस लिखत पर उनकी उपस्थिति के रूप में दर्ज करेंगे और ऐसा हस्ताक्षर करना किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर करने से स्वतंत्र होगा, जिसमें लिखत पर साक्षियों के रूप में हस्ताक्षर किए हैं। जब तक कि यथापूर्वोक्त हस्ताक्षर ऐसा लिखत विधिमाम्य नहीं होगा।

(2) उपविनियम (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुपंगी बैंक की सामान्य मुहर को अनुपंगी बैंक के कारबार के संबंध में निम्नलिखित विवरण के लिखतों पर चस्पा किया जा सकेगा, अर्थात्:--

(क) अनुपंगी बैंक के कारबार के संबंध में अपेक्षित कार्यालय परिसर, गृह और अन्य संपत्तियों का पट्टा तथा ऐसे पट्टों का अभ्यर्पण और अंतरण ;

(ख) अनुपंगी बैंक द्वारा क्रय की गई या विक्रय की गई संपत्तियों का अभिहस्तांतरण पत्र ;

(ग) ऐसे लिखत, जिनके द्वारा संपत्ति किसी अनुपंगी बैंक को गिरवी रखी गई है, विक्री या गिरवी के अंतरण के माध्यम से अभिहस्तांतरण पत्र और ऐसी संपत्ति का पट्टा ;

(घ) अनुपंगी बैंक द्वारा अनुदत्त मुख्तारनामा ;

(ङ) क्षतिपूर्ति संविदाएं, जमानत पर्ची या विनिर्दिष्ट प्रतिभूति के साथ गारंटी या अन्यथा ; और

(च) किसी न्यास या किसी संपदा के प्रशासन के संबंध में, जिसमें अनुपंगी बैंक किसी निष्पादक, न्यासी या अन्यथा संबंधित है, के अनुपंगी बैंक को नियुक्त करने या उन्मोचित करने के लिखत।

68. शेयरधारकों को सूचनाओं की तामील—(1) सिवाय इन विनियमों में उपबंधित के अनुपंगी बैंक द्वारा किसी सूचना की किसी शेयरधारक को या तो व्यक्तिगत रूप से या उसके रजिस्ट्रीकृत पते पर डाक द्वारा या अनुपंगी बैंक द्वारा अनुमोदित किसी अन्य रीति में या उस शेयरधारक को इलैक्ट्रानिकी मेल द्वारा, जो ऐसी सूचना को इलैक्ट्रानिकी मेल द्वारा प्राप्त करने का विकल्प देता है और अनुपंगी बैंक को अपना ई-मेल का पता प्रस्तुत करता है, तामील की जा सकेगी।

(2) शेयरधारकों या उनमें से किसी को अनुपंगी बैंक द्वारा दिए जाने के लिए अपेक्षित कोई सूचना और जिसके लिए इन विनियमों में अभिव्यक्त रूप से उपबंध नहीं किया गया है, को यदि विज्ञापन द्वारा दिया जाता है तो पर्याप्त रूप से दिया गया माना जाएगा।

(3) उपविनियम (1) के अधीन भेजी गई कोई सूचना उस दिन से तीसरे दिन तामील की गई मानी जाएगी जिसको उसे अंतर्विष्ट करने वाले लिफाफा या रैपर भेजा जाता है और ऐसी तामील के सबूत के रूप में यह साबित करना पर्याप्त होगा कि सूचना को अंतर्विष्ट करने वाले लिफाफे या रैपर पर पता उचित रूप से लिखा गया था, पूर्व संदत्त था और उसे पारेषण में डाला गया था और अनुपंगी बैंक के कर्मचारी द्वारा लिखित हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र की सूचना को अंतर्विष्ट करने वाले लिफाफे या रैपर पर इस प्रकार पता लिखा गया था, तैयार किया गया था और भेजा गया था, उसका निश्चायक साक्ष्य होगा। विज्ञापन द्वारा दी गई किसी सूचना को उस तारीख को दिया गया समझा जाएगा जिसको पहली बार विज्ञापन उपदर्शित हुआ था।

(4) पूर्वोक्त उपबंधों के अनुसरण में दी गई किसी सूचना को इस बात के होते हुए भी सम्यकता दिया गया माना जाएगा कि शेयरधारक की तब मृत्यु हो चुकी थी और अनुपंगी बैंक को उसकी मृत्यु की सूचना थी या नहीं थी और उस दशा में सूचना विधिक प्रतिनिधियों को समझी जाएगी।

(5) किन्हीं रजिस्ट्रीकृत शेयरों के संबंध में सभी सूचनाएं, जिनके लिए व्यक्ति संयुक्त रूप से हकदार हैं, ऐसे व्यक्तियों में से रजिस्टर में नामित पहले व्यक्ति को दी जाएगी और इस प्रकार दी गई सूचना उक्त शेयरों के सभी धारकों के लिए पर्याप्त होगी।

(6) अनुपंगी बैंक द्वारा दी जाने वाली किसी सूचना में हस्ताक्षर लिखित, टाइपकृत या मुद्रित हो सकेंगे।

69. शेयरधारकों द्वारा अनुपंगी बैंक को सूचना की तामील—अनुपंगी बैंक को किसी सूचना की तामील सम्यक अभिस्वीकृति के अधीन या अनुपंगी बैंक के मुख्यालय को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजकर की जाएगी।

70. लाभांश का संदाय—(1) अनुपंगी बैंक के लाभों का लेखा प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को किया जाएगा और लाभांश, यदि कोई हो, की घोषणा की जाएगी यथाशीघ्र सुविधानुसार संदाय किया जाएगा। बोर्ड समय-समय पर ऐसे अंतरिम लाभांशों जैसा उसे न्यायोचित प्रतीत हो, के संदाय की घोषणा कर सकेगा और संदत्त कर सकेगा या संदाय को प्राधिकृत कर सकेगा।

(2) किसी लाभांश पर अनुपंगी बैंक द्वारा कोई ब्याज नहीं होगा।

(3) किसी शेयर के संयुक्त धारकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत अनेक व्यक्तियों में से कोई एक शेयर के संबंध में सभी लाभांशों के लिए प्रभावी रसीद दे सकेगा।

(4) लाभांश का संदाय चैक या अनुपंगी बैंक के मुख्यालय पर अधिदेश द्वारा किया जाएगा और उसे हकदार शेयरधारकों के रजिस्ट्रीकृत पते पर डाक द्वारा भेजा जाएगा या संयुक्त धारकों की दशा में उस शेयरधारक के रजिस्ट्रीकृत पते पर, जिसका नाम संयुक्त धारकों के संबंध में रजिस्टर में पहले है, भेजा जाएगा और इस प्रकार भेजा गया प्रत्येक चैक या अधिदेश उस व्यक्ति के आदेश पर संदेय बनाया जाएगा, जिसे उसे भेजा गया है।

(5) उपविनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अनुपंगी बैंक लाभांश या अंतरिम लाभांश का अधिनियम या इन विनियमों में अधीन उसके लिए हकदार किसी व्यक्ति को या तो ऐसे व्यक्ति के बैंक खाते में सीधे जमा कर या इलैक्ट्रानिक संदाय प्रणाली या रिजर्व बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य इलैक्ट्रानिकी निधि अंतरण रीति में कर सकेगा।

(6) अनुपंगी बैंक लाभांश का किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उसका अधिनियम या इन विनियमों के अधीन हकदार नहीं है, नहीं करेगा किंतु उसे प्रतिधारित करेगा और उसकी उस व्यक्ति को, जो बाद में उन शेयरों के संबंध में रजिस्ट्रीकृत हो जाता है जिन पर ऐसा लाभांश संदेय है और अधिनियम या इन विनियमों के अधीन अपात्र नहीं हो जाता है, को उनको प्राप्त करता है, को संदाय करेगा।

71. व्यवृत्ति खंड—अनुपंगी बैंक साधारण विनियम, 1959 के अधिक्रमण के होते हुए भी और इन विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए जारी की गई, दी गई, की गई कोई अधिसूचना, आदेश, नियम, स्कीम, प्ररूप, परिपत्र, अनुदेश, प्राधिकरण का प्रवृत्त रहना जारी रहेगा और उनका ऐसे प्रभाव होगा, जैसे कि वे इन विनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन जारी की गई, दी गई, या किया गया हो।

अनुसूची 1**प्ररूप क**

[विनियम 17 का उपविनियम (1) देखें]

नामनिर्देशन प्ररूप

(एकमात्र रूप से या संयुक्त रूप से आवेदन करने वाले व्यष्टि द्वारा प्रत्येक फोलियों के लिए पृथक् नामनिर्देशन प्ररूप प्रस्तुत किया जाना चाहिए)

मैं/हम ¹ और ¹ और
² स्टेट बैंक के फोलियों सं. के अधीन¹
 शेयरधारक नामनिर्देशन करना चाहते हैं और एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट करते हैं, जिनमें अंतरण के सभी अधिकार
 और पूर्वोक्त फोलियों सं. के अधीन धृत शेयरों के संबंध संदेय रकम मेरी मृत्यु/संयुक्त धारकों की मृत्यु की दशा में विहित होगी।

नामनिर्देशिती का नाम और पता

नाम³

पता⁴

जन्म की तारीख*

(*नामनिर्देशिती के अल्पव्य होने की दशा में प्रस्तुत किया जाना है)

**नामनिर्देशिती अल्पव्य है जिसका संरक्षक है:

नाम⁵

टिप्पण :-

और

पता

(*जो लागू न हों उसे काट दें)

शेयरधारक के हस्ताक्षर

(प्रथम/एकमात्र शेयरधारक)

नाम

पता

तारीख

शेयरधारक के हस्ताक्षर (द्वितीय धारक).....

¹ शेयरधारक (कों) का नाम ।

² फोलियों संख्या ।

³ नामनिर्देशिती का स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम ।

⁴ नामनिर्देशिती का पूर्ण स्थायी पता ।

⁵ अल्प व्यय के संरक्षक का नाम और पता ।

नाम

पता

.....

तारीख

शेयरधारक के हस्ताक्षर (तृतीय धारक).....

नाम

पता

.....

तारीख

पहले साक्षी के हस्ताक्षर

नाम

पता

.....

तारीख

दूसरे साक्षी के हस्ताक्षर

नाम

पता

.....

तारीख

प्ररूप ख

[विनियम 17 का उपविनियम (6) देखें]

नामनिर्देशन में फेरफार या रद्द करने का प्ररूप

(एकमात्र रूप से या संयुक्त रूप से आवेदन करने वाले व्यष्टि द्वारा प्रत्येक फोलियों के लिए पृथक् नामनिर्देशन प्ररूप प्रस्तुत किया जाना चाहिए)

मैं/हम ⁶ और ⁶ और

.....⁷ स्टेट बैंक के फोलियों सं. के अधीन¹

शेयरधारक.....के पक्ष में किए गए नामनिर्देशन को रद्द करना चाहते हैं⁸ और एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करते हैं, जिनमें अंतरण के सभी अधिकार और पूर्वोक्त फोलियों सं. के अधीन धृत शेयरों के संबंध संदेय रकम मेरी मृत्यु/संयुक्त धारकों की मृत्यु की दशा में विहित होगी।

नामनिर्देशिती का नाम और पता

नाम⁹

पता¹⁰

⁶ शेयरधारक (कों) का नाम।

⁷ फोलियों संख्या।

⁸ पूर्ववर्ती नामनिर्देशिती का पूरा नाम

⁹ नामनिर्देशिती का स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम।

¹⁰ नामनिर्देशिती का पूर्ण स्थायी पता।

.....
जन्म की तारीख*

.....
(*नामनिर्देशिती के अल्पव्य होने की दशा में प्रस्तुत किया जाना है)

**नामनिर्देशिती अल्पव्य है जिसका संरक्षक है:

नाम¹¹

टिप्पण :-

और

पता

.....
(**जो लागू न हों उसे काट दें)

शेयरधारक के हस्ताक्षर

(प्रथम/एकमात्र शेयरधारक)

नाम

पता

.....
तारीख

शेयरधारक के हस्ताक्षर (द्वितीय धारक).....

नाम

पता

.....
तारीख

शेयरधारक के हस्ताक्षर (तृतीय धारक).....

नाम

पता

.....
तारीख

पहले साक्षी के हस्ताक्षर

नाम

पता

.....
तारीख

¹¹ अल्प व्यय के संरक्षक का नाम और पता ।

दूसरे साक्षी के हस्ताक्षर

नाम

पता

.....

तारीख

प्ररूप ग

प्रॉक्सी प्ररूप

[विनियम 37 का उपविनियम (4) देखें]

स्टेट बैंक ऑफ

फोलियो सं.

(शेयरधारक द्वारा भरी जानी है)

मैं/हम राज्य के जिले के निवासी स्टेट बैंक ऑफ के शेयरधारक होने के नाते शेयर रजिस्टर में शेयर सं. धारण कर रहे हैं राज्य के जिले के निवासी को या उनके न होने पर राज्य के जिले के निवासी को एतद्वारा स्टेट बैंक ऑफ की को होने वाली शेयरधारकों की बैठक में या उसके किसी आस्थगन में मेरा/हमारा हमारे और मेरे निमित्त मत देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करते हैं।

तारीख को हस्ताक्षरित

हस्ताक्षर

उचित स्टाम्प चस्पा करें

* अनुपंगी बैंक के नाम को यहां लिखें।

अनुसूची II

[विनियम 2(i) देखें]

1. पति या पत्नी ;
2. पिता ;
3. माता (सौतेली माता सहित) ;
4. पुत्र (सौतेला पुत्र सहित) ;
5. पुत्र की पत्नी ;
6. पुत्री (सौतेली पुत्री सहित) ;
7. पुत्री का पति ;
8. भाई (सौतेला भाई सहित) ;
9. भाई की पत्नी ;
10. बहन (सौतेली बहन सहित) ;
11. बहन का पति ;

12. पति या पत्नी का भाई (सौतेला भाई सहित) ;
13. पति या पत्नी की बहन (सौतेली बहन सहित) ;

शान्तनु मुखर्जी, प्रबंध निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असाधारण/123/15(269)]

STATE BANK OF HYDERABAD
(HEAD OFFICE: GUNFOUNDRY, HYDERABAD)

NOTIFICATION

Hyderabad, the 1st December, 2015

F. No. BM No. : 2015-16/395 (Item 1).—In exercise of the powers conferred by section 63 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (38 of 1959) and in supersession of the Subsidiary Banks General Regulations, 1959 published in the Gazette of India vide notification number S.B.S. No. 3/59, dated the 30th September, 1959, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Board of Directors of the State Bank of Hyderabad after consultation with the State Bank and the Reserve Bank and with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:

CHAPTER I
INTRODUCTORY

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the State Bank of Hyderabad General Regulations, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (38 of 1959);

(b) "Board" means the Board of Directors of the subsidiary bank;

(c) "Chairman" means the Chairman of the Board of Directors of the subsidiary bank as specified in clause (a) of sub-section {1} of section 25 of the Act;

(d) "Company" means a company as defined in clause (20) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), or a body corporate incorporated under any other law for the time being in force, and unless there is anything repugnant in the subject or context, includes a Co-operative Society;

(e) "Executive Committee" means the executive committee of the Board constituted under regulation 47;

(f) "indebtedness to the subsidiary bank" means—

(i) the outstandings on loans, where the loans have been disbursed in full;

(ii) the maximum amounts of loans sanctioned, where the full amounts may not have been disbursed;

(iii) the limits sanctioned for advances of fluctuating accounts even though the actual drawing power may be lower;

(iv) the amounts outstanding on account of usance bills discounted for, and demand bills purchased from, the borrower, or the limits sanctioned therefor, whichever may be higher; and

(v) the amounts for which liabilities have been accepted by the subsidiary bank under loans or advances and are subsisting under bills accepted or letters of credit issued or guarantees or indemnities given for and on behalf of the borrower, or the limits sanctioned thereof, whichever may be higher

but does not include indebtedness against specified security;

(g) "loan or advance" includes credit facilities extended by way of discount of usance bills, purchase of demand bills, acceptance of bills or issue of letters of credit and guarantees or indemnities;

(h) "Managing Director" means the Managing Director of the subsidiary bank appointed under section 29 of the Act;

(i) "relative" means the person specified in Schedule-II and includes any other person specified by the Board from time to time;

(j) "Securities and Exchange Board of India" means the Securities and Exchange Board of India established under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);

(k) "Securities and Exchange Board of India regulations" means any regulations or guidelines made or issued by the Securities and Exchange Board of India in accordance with the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);

(l) "specified security" means anyone or more of the following securities:

(i) stocks, funds and securities (other than immovable property) in which a trustee may invest trust money under any law for the time being in force;

(ii) debentures or other securities for money issued by or on behalf of a district board, municipal committee or other local authority, under any law for the time being in force;

(iii) subject to such general or special directions as may be issued by the Board;

(a) debentures and fully paid shares of corporations (other than companies registered under any law relating to companies) established by or under any law for the time being in force; and

(b) debentures of companies with limited liability registered under any law relating to companies either in India or in such other country as the Central Government may approve in this behalf;

(iv) receipts, certificates or any other form of instruments issued by the subsidiary bank in evidence of or representing amounts deposited with it;

(v) goods (other than shares or securities) which are deposited with, or, if authorised by special directions of the State Bank, hypothecated to, the subsidiary bank as security for advances, loans or credit;

(vi) documents of title to goods assigned to the subsidiary bank as security for advances, loans or credits

(vii) any other security that may be specified by the Board in consultation with the State Bank from time to time as "specified security" generally or with reference to any particular purpose or category of borrowers;

(m) "subsidiary bank" means the State Bank of Hyderabad;

(n) "substantial interest" shall have the same meaning as assigned to it in clause (ne) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949).

(2) The words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER II

SHARES AND SHARE REGISTER

3. Shares movable property.- The shares of the subsidiary bank shall be movable property, transferable in the manner provided under these regulations.

4. Share capital.—(1) The share capital of the subsidiary bank shall consist of equity share capital or equity and preference share capital.

(2) Equity share capital is that part of share capital, which is not preference share capital.

(3) Preference share capital is that part of share capital of the subsidiary bank which fulfils the following conditions, namely:—

(a) that as respects dividends, it carries a preferential right to be paid a fixed amount or an amount calculated at fixed rate or floating rate, which may be either free of or subject to income-tax; and;

(b) that as respects capital, it carries or will carry, on winding up, to repayment of capital, a preferential right to be repaid the amount of the capital paid-up or deemed to have been paid up, whether or not there is preferential right to the payment of either or both of the following amounts, namely:—

(i) any money remaining unpaid, in respect of the amounts specified in clause (a) upto the date of winding up or repayment of capital, and;

(ii) any fixed premium or premium on any fixed scale, specified by the Board or the Executive Committee with the previous sanction of the State Bank.

5. Procedure for increasing issued capital by the issue of equity or preference shares.— The proposal along with the procedure for increase of issued capital shall be approved by the Board with due reference to the relevant Securities and Exchange Board of India regulations, which shall be submitted for the approval of the State Bank and the Central Government in consultation with the Reserve Bank:

Provided that the issue of preference shares shall be in accordance with the guidelines framed by the Reserve Bank.

6. Control over shares and registers.— (1) Subject to the provisions of the Act and these regulations, the register of shareholders of the subsidiary bank shall be maintained by, and under the control of; the Board or the Executive Committee and the decision of the Board or the Executive Committee as to whether or not a person is entitled to be registered as a holder in respect of any share shall be final.

(2) In particular, and without prejudice to the foregoing provision, the Board or the Executive Committee shall, as regards the entries in the register of shareholders of the subsidiary bank, have the power to examine and pass or refuse to pass transfers and transmissions and to approve or refuse to approve transferees of shares and to give certificates of shares.

7. Parties who may not be registered as shareholders.— (1) Except as otherwise provided by these regulations, all persons who are not competent to contract shall not be entitled to be registered as a shareholder and the decision of the Board or the Executive Committee in this regard shall be conclusive and final.

(2) In the case of partnership firms, shares shall be registered in the names of the individual partners, and no firm, as such, shall be entitled to be registered as a shareholder.

8. Particulars to be entered in the share register.—(1) In addition to the particulars specified in section 21 of the Act, the following particulars shall be entered in the register of shareholders—

i) the manner in which each shareholder acquired his share or shares, and except in the case of allotment of shares to the State Bank, the name of the previous holder;

(ii) whether the shareholder belongs to either of the following category of shareholders namely, the State Bank or any other residuary category;

(iii) when any person ceases to be a shareholder, the name of the person in whose favour the share or shares are transferred; and

(iv) such further particulars as the Board or the Executive Committee may specify.

(2) In the case of joint holders of shares, their names and other particulars required by sub-regulation

(1) shall be grouped under the name of the first of such joint holders.

(3) A shareholder resident outside India shall furnish to the subsidiary bank an address in India and such address shall be entered in the register and be deemed to be his registered address for the purposes of the Act and these regulations.

9. Exercise of rights of joint holders.- If any share stands in the name of two or more persons the person first named in the register shall, as regards voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matter connected with the subsidiary bank, except the transfer of the shares and right to make nomination, be deemed the sole holder thereof.

10. Inspection of register.- (1) The register of shareholders of the subsidiary bank shall, except when closed under the provisions of these regulations, be open to the inspection of any shareholder, free of charge, at the place where it is maintained during business hours, subject to such reasonable restriction as the subsidiary bank may impose, but so that not less than two hours in each working day shall be allowed for inspection.

(2) A shareholder shall not be allowed to make a copy or computer print or diskette of any entry in the register, but may, except when the register is closed, require a copy of the register or of any part thereof, either in paper form or in electronic form, on prepayment therefor at such rate as the Board or the Executive Committee may decide from time to time.

11. Closing of share register.- (1) The Board or the Executive Committee may close the register of shareholders for any period or periods not exceeding in the aggregate two months in each year but not exceeding one month at any one time.

(2) A notice of the closing of the register shall be published in at least two daily newspapers having wide circulation in India.

12. Share certificates.- (1) Every share certificate shall be issued in such form as may be specified by the Board or the Executive Committee from time to time and shall bear share certificate number, a distinctive number, the number of shares in respect of which it is issued and the name(s) of the shareholder(s) to whom it is issued.

(2) Every share certificate shall be issued under the common seal of the subsidiary bank and shall be signed on behalf of the subsidiary bank by two persons duly authorised by the subsidiary bank and every such signature may be printed, engraved, lithographed or impressed by such other mechanical process as the Board or the Executive Committee may direct.

(3) A signature so printed, engraved, lithographed or otherwise impressed shall be as valid as a Signature in proper handwriting of the signatory himself.

(4) No share certificate shall be valid unless it is so signed and share certificate so signed shall be valid and binding notwithstanding that, before the issue thereof, any person whose signature appears thereon may have ceased to be a person authorised to sign share certificate on behalf of the subsidiary bank:

Provided that where the share certificate so prepared contains the signature of the person authorised under sub-regulation (2) who is dead at the time of issue of the certificate, the subsidiary bank may, by a method considered by it as most suitable, cancel the signature of such person and have the Signature of any other authorised person affixed to it which shall validate such share certificate.

13. Issue of share certificates free of charge.- (1) A shareholder of the subsidiary bank shall be entitled to one certificate for each fifty shares or such number as may be decided by the Board or the Executive Committee registered in his name on any one occasion, and one additional share certificate for the number of shares in excess of a multiple of but less than fifty shares.

(2) If the number of shares to be registered is less than fifty or such number of shares as may be decided by the Board or the Executive Committee, one certificate shall be issued for all the shares.

(3) If any shareholder requires more certificates than the number to which he is entitled under sub-regulation

(1) or, as the case may be, sub-regulation (2), the Board or the Executive Committee may have such additional certificates issued at its discretion.

(4) In the case of shares held jointly by several persons, delivery of the certificate or certificates to one of such joint holders shall be sufficient delivery to all, and a receipt signed by anyone of the joint holders shall effectually bind all the joint holders.

14. Issue of new or duplicate share certificates.-(1) If any share certificate is worn out or defaced or tendered for sub-division or for consolidation, then, upon production thereof to the Board or the Executive Committee, the Board or the Executive Committee may order the same to be cancelled, and have a new certificate or certificates issued in lieu thereof.

(2) If any share certificate is alleged to be lost or destroyed, then, upon production of such evidence of the loss or destruction thereof as the Board or the Executive Committee may consider satisfactory, and upon such indemnity, with or without surety as the Board or the Executive Committee may require, a new certificate in lieu thereof shall be given to the party entitled to such lost or destroyed certificate.

(3) The costs, charges and expenses of and incidental to the matters referred to in sub-regulations (1) and (2) shall be determined by the Board or the Executive Committee from time to time and shall be payable by the person(s) applying therefor ..

(4) When any Certificate is issued in any of the circumstances specified in sub-regulation (1), it shall state on the face of it and to the effect that it is "Issued in lieu of share certificate Number subdivided/replaced/on consolidation of shares" as the case may be.

(5) When any certificate is issued in any of the circumstances specified in sub-regulation (2), it shall state on the face of it and to the effect that it is a "Duplicate issued in lieu of share certificate Number". Further the word "Duplicate" shall be stamped or punched in bold letters across the face of the share certificate,

15. Transfer of shares.-(1) Every transfer of the shares of the subsidiary bank shall be in writing in the following form or in any usual or common form which the subsidiary bank shall approve:

I/We of _____ in consideration of the sum of rupees _____ paid to me/us by _____ of... (hereinafter called "the transferee(s)") do hereby transfer to the transferee(s) share/shares of the numbered bearing distinctive number to hold unto the transferee(s), his/their executors, administrators and assigns, subject to the several conditions contained in the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 and the rules and regulations made there under, and I/we, the transferee(s) do hereby agree to take the said share/shares subject to the conditions aforesaid and I/we, the transferee(s) request that I/we be registered as shareholder in respect of the said _____ share/shares.

Transferor

Name : _____

Address _____

Witness _____

Name _____

Address _____

Occupation _____

Transferee _____

Name _____

Address _____

Witness _____

Name _____

Address _____

Occupation _____

Place _____

Date _____

(2) The instrument of transfer of any share shall be submitted to the subsidiary bank and shall be signed by or on behalf of the transferor and the transferee, and transferor shall be deemed to remain the holder of such shares until the name of the transferee is entered in the share register.

Each signature to such transfer shall be duly attested by one witness who shall add his address and occupation.

(3) Upon receipt by the Board of an instrument of transfer with the request to register the transfer, the Board or the Executive Committee shall, unless it declines the registration under regulation 16, within two months from the date on which the instrument of transfer was delivered to the subsidiary bank for submission to the Board, cause the transfer to be registered.

16. Power to refuse or suspend transfers.- (1) The Board or the Executive Committee may decline to register any transfer of shares unless:-

(a) a proper instrument of transfer duly stamped and executed by or on behalf of the transferor and the transferee has been submitted to the Board or the Executive Committee;

(b) the instrument of transfer is accompanied by the certificate of the shares to which it relates, and such other evidence as the subsidiary bank may reasonably require in evidence of the right of the transferor to make the transfer;

(c) It is satisfied after such enquiry as it may consider necessary that the transferee is qualified to be registered as a shareholder.

(2) The Board or the Executive Committee may suspend the registration of transfer during any period in which the register is closed.

17. Manner of nomination by a shareholder.- (1) The nomination to be made by every individual shareholder or the joint holders together where the shares are registered in the name of more than one individual, shall be in Form A as specified in the Schedule -I to these regulations.

(2) Where the nominee is a minor, the shareholder or as the case may be, all the joint holders together, may furnish the name and address of another person who is not a minor whose name alone shall be registered as the shareholder in the event of the death of the shareholder or all the joint holders as the case may be, during the minority of the nominee.

(3) The nominee shall be an individual and nomination in favour of a body corporate, trust, society, partnership firm and *Karta* of Hindu Undivided Family shall not be accepted.

(4) The nomination shall stand rescinded upon transfer of shares during the lifetime of the shareholder(s).

(5) The shareholder or all the joint shareholders together may cancel or vary the nomination at any time and execute a fresh nomination *in favour* of any individual as deem fit.

(6) A variation or cancellation of the nomination by an individual shareholder or by all the joint shareholders together, shall be in Form B as specified in the Schedule - I to these regulations.

(7) A cancellation of nomination or variation of nomination may be made as aforesaid at any time during which the shares are held by the person or persons making the cancellation or variation, as the case may be.

(8) Where the shares are held by more than one person jointly, the cancellation or variation of nomination shall not be valid unless it is made by all the shareholders surviving at the time of cancellation or variation of the nomination.

(9) The subsidiary bank shall acknowledge in writing to the concerned shareholder the filing of duly completed form of nomination or cancellation of nomination or variation of nomination, as the case may be.

(10) A nomination or cancellation of nomination or variation of nomination shall be registered by the subsidiary bank in the register kept for the purpose.

(11) Notwithstanding anything contained in these regulations, in respect of any shares held by a person individually or jointly with any other person in a demat account, any valid nomination registered in such demat account as per the relevant provisions shall alone be deemed as a valid nomination in respect of such shares.

Explanation: Any nomination in respect of shares held by a person in physical form shall be deemed to have been cancelled on conversion of such shares into dematerialised form and similarly any nomination in a demat account shall not be valid in respect of shares converted from demat form to physical form,

18. Transmission of shares in case of nomination.-(1) On the death of the shareholder or on death of all the joint holders, as the case may be, any person who is entitled to the shares by virtue of a valid nomination, upon the production of such evidence as may be required by the Board or the Executive Committee and subject as hereinafter provided, elect, either -

(a) to be registered himself as holder of the share; or

(b) to make transfer of the share as the deceased shareholder could have made,

(2) Any person who is entitled to the share under sub-regulation (1) and elects to be registered as holder of the share shall deliver or send to the subsidiary bank a notice in writing signed by him stating that he so elects and such notice shall be accompanied with the death certificate(s) of the deceased shareholder or joint shareholders, as the case may be.

(3) Upon receipt by the Board or the Executive Committee of the notice and other document(s) under sub-regulation (2), the Board or the Executive Committee may upon such enquiry and subject to such terms and conditions as it deems appropriate cause the shares to be registered in favour of such person who is entitled to the shares as per the nomination made by the deceased share holder.

(4) All the limitations, restrictions and provisions of these regulations or Act relating to the right to transfer and the registration of transfers of shares shall be applicable to any such notice or transfer as aforesaid as if the death of the shareholder had not occurred and the notice or transfer were Signed by that shareholder.

(5) A person, who is entitled to the shares under sub-regulation (1) shall be entitled to the dividend and other advantages as if he were the registered holder of the share except that he shall not, before being registered as a shareholder in respect of his share, be entitled in respect of it to exercise any voting rights in the meetings of the shareholders:

Provided that the Board or the Executive Committee may, at any time, give notice requiring any such person to elect either to be registered himself or to transfer the share, and if the notice is not complied with within sixty days, the Board or the Executive Committee may thereafter withhold payment of all dividends, bonus or other monies payable in respect of the share, until the requirements of the notice have been complied with,

19. Transmission of shares in the event of death (where there is no nomination), insolvency etc. of shareholder.-(1) The executors or administrators of the estate of a deceased sale holder of a share of the subsidiary bank, or the holder of a succession certificate issued under Part -X of the Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925) in respect of such share, or a person in whose favour a valid instrument of transfer of such share was executed by such person or by the deceased sole holder during the latter's life-time, shall be the only person who may be recognized by the subsidiary bank as having any title to the share of the deceased shareholder. In the case of a share of a subsidiary bank registered in the names of two or more holders, the survivor or survivors and on the death of the last survivor, the executors or administrators of his estate, or any person who is the holder of a succession certificate in respect of such survivors interest in the share, or a person in whose favour valid instrument of transfer of the share was executed by such person or such last survivor during the latter's life-time, shall be the only person who may be recognised by the subsidiary bank as 'having any title to such share, The' subsidiary bank shall not be bound to recognise such executors or administrators unless they shall have obtained probate or letters of administration, or other legal representation as the case may be from a Court of competent jurisdiction:

Provided nevertheless that in any case where the Board or the Executive Committee shall in its discretion think fit, it shall be lawful for the Board or the Executive Committee to dispense with the production of a succession certificate, letters of administration or such other legal representation upon such terms as to indemnity or otherwise as it may think fit:

Provided further that nothing contained in this sub-regulation shall affect the right of any person who becomes entitled to the shares on account of a valid nomination.

(2) Subject to the provisions of the Act and these regulations, any such person becoming entitled to a share of the subsidiary bank in consequence of the death of a shareholder under sub-regulation (1) and any person becoming entitled to a share in consequence of the insolvency, bankruptcy or liquidation of a shareholder shall, upon production of such evidence as the Board or the Executive Committee may require, be entitled-

(a) to be registered as a shareholder in respect of the share upon his satisfying the Board or the Executive Committee in the same manner as if he were the proposed transferee under regulation 16 that he is qualified to be registered as a shareholder; or

(b) to make such transfer of the share as the person from whom he derives his title, could have made.

20. Shareholder ceasing to be qualified for registration.-It shall be the duty of any person registered as a shareholder of subsidiary bank, whether alone or jointly with another or others, forthwith upon ceasing to be qualified to be so registered in respect of any share to give intimation thereof to the Board or the Executive Committee,

21. Registrars to an issue and share transfer agents - It shall be competent for the Board or the Executive Committee by general or special direction, from time to time to delegate its powers and functions set out in sub-regulation (3) of regulation 13, regulation 14, sub-regulation (3) of regulation 15, sub-regulation (1) of regulation 16, sub-regulation (3) of regulation 18 and sub-regulation (2) of regulation 19 to any officer, company or agency and it shall also be competent for the Board or the Executive Committee to appoint "Registrars to an issue" and "share transfer agents" as defined in the relevant Securities and Exchange Board of India regulations.

22. Manner of accepting money for issued capital, forfeiture and re-issue of shares. -(1) The Board or the Executive Committee may, from time to time, make such calls as it thinks fit upon the shareholders in respect of all monies remaining unpaid on the shares held by them whether on account of nominal value of shares or by way of premium, which are by the conditions of allotment not made payable at fixed times, by giving not less than fourteen days notice for payment thereof and each shareholder shall pay the amount of every call so made on him at the time and place appointed by the Board or the Executive Committee or on such subsequent date as may be fixed by the Board or the Executive Committee. A call may be made payable by instalments and shall date back to the time when the resolution of the Board or the Executive Committee authorising such call was passed:

Provided that before the time fixed for payment of such call the Board or the Executive Committee may by notice in writing to the shareholder extend the time fixed for the payment or revoke the notice of call.

(2) If the sum payable in respect of any call or instalment is not paid on or before the day appointed for payment thereof, the holder for the time being or allottee of the share in respect of which a call has been made or the instalment is due, shall pay interest on such sum at such rate as the Board or the Executive Committee may fix from time to time, from the day appointed for the payment thereof to the time of actual payment, but the Board or the Executive Committee may for reasons to be recorded in writing, waive wholly or in part, payment of such interest.

(a) If any shareholder fails to pay the whole or any part of any call or instalment or any money due in respect of any shares either by way of principal or interest up to the day appointed for the payment thereof, the subsidiary bank may at any time thereafter, if the call or instalment or any part thereof or other monies remain unpaid in whole or in part, serve a notice of forfeiture on such shareholder or on the person (if any) entitled to the share by transmission, requiring him to pay such call or instalment or such part thereof or other monies which remain unpaid together with any interest that may have accrued due.

(b) A notice of forfeiture shall state a date not being less than fourteen days from the date of notice and the time and place at which such call or instalment or interest remaining unpaid are to be paid and in the event of non-payment of the amount due upto the date fixed for payment, the share or shares in respect of which the call was made and the amount was due, shall be liable to be forfeited.

(4) If the shareholder or any other person on whom a notice of forfeiture has been served fails to comply with the same, the shares in respect of which the notice of forfeiture was given, may at any time after the date fixed for payment may be forfeited by a resolution of the Board or the Executive Committee and such forfeiture shall include all unpaid dividends in respect of the forfeited shares.

(5) Any share so forfeited shall be deemed to be the property of the subsidiary bank and may be sold, re-allotted or otherwise disposed of to any person upon such terms and in such manner as the Board or the Executive Committee may decide.

(6) The subsidiary bank may receive the consideration, if any, given for the share on any sale, re-allotment or other disposition thereof and the person to whom such share is sold, re-allotted or disposed of may be registered as the holder of the share and shall not be bound to see to the application of the consideration, if any, nor shall his title to the share be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the forfeiture, sale, re-allotment or other disposal of the share and the remedy of any person aggrieved by the sale shall be in damages only and against the subsidiary bank exclusively.

(7) The Board or the Executive Committee may, at any time, before any share so forfeited under sub-regulation (4), have been sold, re-allotted or otherwise disposed of, annul the forfeiture thereof upon such conditions as it may think fit.

(8) Any shareholder whose shares have been forfeited shall, notwithstanding the forfeiture, be liable to pay and shall forthwith pay to the subsidiary bank all calls, instalments, expenses and other monies owing upon or in respect of such shares at the time of forfeiture with interest thereon from the time of forfeiture until payment at such rate as may be specified by the Board or the Executive Committee and the Board or the Executive Committee may enforce the payment of the whole or a portion thereof.

(9) Neither a judgment nor a decree in favour of the subsidiary bank for calls or other monies due in respect of any shares nor any payment or satisfaction thereunder nor the receipt by the subsidiary bank of a portion of any money which shall be due from any shareholder from time to time in respect of any shares either by way of principal or interest nor any indulgence granted by the subsidiary bank in respect of payment of any money shall preclude the forfeiture of such shares under these regulations.

(10) A certificate in writing signed by the person duly authorised by the subsidiary bank, that the forfeiture of the share was made by a resolution of the Board or the Executive Committee to that effect, shall be conclusive evidence of the fact stated therein as against all persons entitled to such shares.

(11) When any share has been forfeited under sub-regulation (4), an entry of the forfeiture with the date thereof shall be made in the register.

(12) The forfeiture of a share shall extinguish, at the time of the forfeiture, all interest in and all claims and demands against the subsidiary bank, in respect of the share and all other rights incidental to the share, except only such of those rights expressly waived by these regulations.

(13) Upon any sale, re-issue, re-allotment or other disposal of forfeited shares in accordance with the sub-regulations, certificate(s) originally issued in respect of the relative shares shall (unless the same shall on demand by the subsidiary bank have been previously surrendered to it by the defaulting shareholder) stand cancelled and become *null* and *void* and be of no effect.

(14) The Board or the Executive Committee shall be entitled to issue a new certificate or certificates in respect of the said shares to the person or persons entitled thereto.

(15) The joint holders of a share shall be jointly and severally liable to pay all calls in respect thereof.

(16) Subject to other provisions of these regulations, no shareholder shall be entitled to receive any dividend or to exercise any right of a shareholder until he has paid all calls for the time being due and payable on every share held by him, whether singly or jointly with any person, together with interest and expenses, as may be levied or charged.

(17) If by the terms of issue of any share or otherwise any amount is payable at any fixed time or by instalments at fixed times, every such amount or instalment shall be payable as if it were a call duly made by the Board or the Executive Committee and of which due notice had been given and all the provisions herein contained in respect of the calls shall relate to such amount or instalment accordingly.

(18) (a) The subsidiary bank shall have a first and paramount lien:-

(i) on every share (not being a fully-paid share), for all monies (whether payable or not) called, or payable at a fixed time, in respect of that share;

(ii) on all shares (not being fully-paid shares), standing registered in the name of a single person, for all monies payable by him or his estate to the subsidiary bank;

(iii) upon all the shares (not being fully-paid shares) registered in the name of each person (whether solely or jointly with others) and upon the proceeds of sale thereof for his debts, liabilities, and engagements, solely or jointly with any other person to the subsidiary bank, whether the period for the payment, fulfilment, or discharge thereof shall have actually arrived or not and no equitable interest in any share shall be recognised by the subsidiary bank over its lien:

Provided that the Board or the Executive Committee may at any time declare any share to be wholly or in part exempt from provisions of this clause.

(b) The subsidiary bank's lien, if any, on a share shall extend to all dividends payable thereon.

19 (a) The subsidiary bank may sell, in such manner as the Board or the Executive Committee thinks fit, any shares on which the subsidiary bank has a lien-

(i) if a sum in respect of which the lien exists is payable; and

(ii) after the expiration of fourteen days after a notice in writing stating and demanding payment of such part of the amount in respect of which the lien exists as is payable, has been given to the registered holder for the time being of the share or the person entitled thereto by reason of his death or insolvency.

(b) To give effect to any sale as above, the Board or the Executive Committee may authorise any officer to transfer the shares sold to the purchaser thereof.

(20) The net proceeds of any sale of shares under sub-regulation (19) after deduction of costs of such sale, shall be applied in or towards the satisfaction of the debt or liability in respect whereof the lien was enforced so far as the same is payable and the residue, if any, be paid to the shareholders or the person, if any, entitled by transmission of the shares so sold.

(21) (a) The subsidiary bank may serve a notice or a document on any shareholder either personally, or by ordinary post at his registered address or if he has no registered address in India, at the address, if any, within India supplied by him to the subsidiary bank.

(b) Where a document or a notice is sent by post, the service of such document or notice shall be deemed to be effected by properly addressing, prepaying and posting a letter containing the document or notice:

Provided that where a shareholder has intimated to the subsidiary bank in advance that documents should be sent to him by registered post, with or without acknowledgement due or by courier service or in an electronic mode and has deposited with the subsidiary bank a sum sufficient to defray the expenses of doing so, service of the document or notice shall not be deemed to be effected unless it is sent in the manner intimated by the shareholder:

Provided further that any notice sent by post shall be deemed to have been served on the third day following that on which the envelope or wrapper containing the same is posted, and in proof of which service it shall be sufficient to prove that the envelop or wrapper containing the notice was properly addressed, pre-paid and put into post office, and a certificate in writing signed by an employee of the subsidiary bank that the envelope or wrapper containing the notice was properly addressed, pre-paid and

posted shall be conclusive evidence thereof and in any other case, at the time at which the letter would have been delivered in the ordinary course.

(c) A notice or a document advertised in a newspaper having wide circulation in India shall be deemed to be duly served on the day on which the advertisement appears on every shareholder of the subsidiary bank who has no registered address in India and has not supplied to the subsidiary bank an address within India for giving of notice to him;

(d) A notice or document may be served by the subsidiary bank on the joint holder of a share by effecting service on the joint holder named first in the register in respect of the share and notice so given shall be sufficient notice to all the holders of the said shares;

(e) A notice or a document may be served by the subsidiary bank on the persons entitled to a share upon death or in consequence of the insolvency of a shareholder by sending it through post in a prepaid letter addressed to them by name, or by the title of representatives of the deceased, or assignees of the insolvent, or by any like description, at the address, if any, in India supplied for the purpose by the persons, claiming to be so entitled, or until such an address has been so supplied, by serving the document in any manner in which it might have been served if the death or insolvency had not occurred;

(f) The signature to any notice to be given by the subsidiary bank may be written or printed.

CHAPTER- III

MAINTENANCE OF SHARE REGISTER IN ELECTRONIC FORM AND SAFEGUARDS FOR MAINTAINING THE REGISTER OF SHAREHOLDERS IN COMPUTERS ETC.

23. Maintenance of register of shareholders in electronic form etc.- The particulars required to be entered in the Share Register under section 21 of the Act read with those mentioned in Chapter II of these regulations shall be maintained in the form of data stored in magnetic or optical or magneto-optical media by way of diskettes, floppies, cartridges or otherwise (hereinafter referred to as the "media" in this chapter) in computers to be maintained at such location as may be decided from time to time by the Managing Director or any other official not below the rank of a General Manager designated in this behalf by the Managing Director (hereinafter referred to as "the designated official" in this chapter).

24. Safeguards for protection of computer systems.- (1) The access to the system set out in regulation 23 in which data is stored shall be restricted to such persons as may be authorised in this behalf by the Managing Director or the designated official and the passwords if any, and/or the electronic security control systems shall be kept confidential under the custody of the said persons.

(2) The access by the authorised persons shall be recorded in logs by the computer system and such logs shall be preserved with the officials or persons designated in this behalf by the Managing Director or the designated official.

(3) Copies of the back-ups shall be taken on removable media at intervals as may be specified from time to time by the Managing Director or the designated official, also incorporating the changes made in the register of shareholders. At least one of these copies shall be stored in a location other than the premises in which processing is being done. This copy shall be stored in a fire-proof environment with locking arrangement and at the requisite temperature. The access to the back-ups in both the locations shall be restricted to persons authorised in this behalf by the Managing Director or the designated official. The persons so authorised shall record the access in a manual register kept at the location.

(4) It shall be the duty of the authorised persons to compare the data on the backup with that on the Computer System by using appropriate software to ensure correctness of the backup. The result of this operation shall be recorded in the register maintained for the purpose.

25. Powers of the Managing Director to provide for other safeguards:- It shall be competent for the Managing Director, by special or general order to add or modify the instructions, stipulations in regard to the safeguards to be observed in maintaining the register of the shareholders in the computer system with due regard to the advances in technology, and/or exigencies of situation or any other relevant consideration.

CHAPTER-IV MEETINGS OF SHAREHOLDERS

26. Notice convening a general meeting.- Subject to the provisions of sub-section (3) of section 44 of the Act-

(a) A notice convening a general meeting of the shareholders of the subsidiary bank signed by the Chairman or the Managing Director of the subsidiary bank shall be published, not less than twenty-eight days before the date of the meeting in at least two daily newspapers having wide circulation in India.

(b) "Every such notice shall state the time, date and location of such meeting, and also the business that shall be transacted at the meeting.

27. **Special general meeting.**- (1) The Board may, at any time, and shall, if a requisition for such a meeting has been received from either the State Bank or other shareholders holding shares, carrying in the aggregate not less than twenty per cent. of the total voting rights' of all the shareholders, convene, or cause to be convened, a special general meeting of shareholders.

(2) The requisition referred to in sub-regulation (1) shall state the purpose for which the special general meeting is required to be convened, and may consist of several documents in like form each signed by one or more of the requisitionists.

(3) The time, date and location of a general meeting shall be decided by the Board:

Provided that a special general meeting convened on requisition shall be convened not later than forty-five days of the receipt of the requisition.

28. **Business at general meetings.**- (1) No business other than that specified in sub-section (2) of section 44 of the Act shall be transacted or discussed at the annual general meeting, except with the consent of the Chairman or other person presiding at the meeting, unless not less than six weeks notice of the same has been given to the Chairman or the Managing Director of the subsidiary bank either by the State Bank or by at least ten other shareholders qualified to vote at the meeting. Such notice shall take the form of a definite resolution to be put to the meeting, and shall be included in the notice of the meeting.

(2) Except with the consent of the Chairman or other person presiding at the meeting, no business shall be transacted or discussed at any special general meeting, except the business for which the meeting has specifically convened.

29. **Quorum at General meetings** - No business shall be transacted at any meeting of the shareholders whether it is the annual general meeting or any special general meeting, unless a quorum of at least five shareholders consisting of the State Bank represented by a proxy or by a duly authorised representative and four other shareholders entitled to vote at such meeting, in person or by proxy or by duly authorised representatives is present at the commencement of such business, and if within fifteen minutes from the time appointed for the meeting a quorum is not present, the Chairman or other person presiding at the general meeting may dissolve the meeting or adjourn it to the same day in the following week at the same time and location and if at such adjourned meeting quorum is not present, the shareholders who are present in person or by proxy or by duly authorised representative shall form a quorum:

Provided that no annual general meeting shall be adjourned to a date later than the date within which such general meeting shall be held in terms of the proviso to sub-section (1) of section 44 of the Act and if adjournment of the meeting to the same day in the following week would have this effect, the annual general meeting shall not be adjourned but the business of the meeting shall be commenced either as soon within one hour from the time appointed for the meeting as a quorum may be present, or immediately after the expiry of one hour from that time and those shareholders who are present in person or by proxy or by duly authorised representatives at such time shall form a quorum.

30. **Chairman at general meetings.**- (1) The Chairman, or in his absence one of the directors as may generally or in relation to any particular meeting be authorised by the Chairman in this behalf, shall preside at a general meeting, and in the absence of the Chairman and the person so authorized, the shareholders who are present in person or by proxy or by duly authorised representatives at the meeting may elect any other director to be the Chairman of the meeting.

(2) The Chairman of a general meeting shall regulate the procedure at the general meeting and, in particular, shall have the power to decide the order in which shareholders may address the meeting, to fix a time limit for speeches, to apply the closure when, in his opinion, any matter has been sufficiently discussed and to adjourn the meeting.

31. Persons entitled to attend general meetings.-(1) All, directors, the auditor for the time being and all shareholders shall, subject to the provisions of sub-regulation (2), be entitled to attend a general meeting of the subsidiary bank.

(2) A shareholder (other than the State Bank or a director of the subsidiary bank) attending a general meeting shall, for the purpose of identification and to determine his voting rights, be required to sign and deliver to the subsidiary bank a form to be specified by the Managing Director containing the following particulars:

- (a) his full name and registered address;
- (b) the distinctive numbers of his shares;
- (c) whether he is entitled to vote and the number of votes to which he is entitled in person or as proxy or as a duly authorised representative.

32. Voting at general meetings.-(1) Save as otherwise provided in section 31 of the Act, every matter submitted to a general meeting of the subsidiary bank shall be decided by a majority of votes.

(2) A declaration by the Chairman of a general meeting of the subsidiary bank that a resolution has been carried or rejected thereat upon a show of hands by those shareholders present who are entitled to vote on the resolution shall be conclusive, and an entry to that effect in the book of proceedings of the subsidiary bank shall be sufficient evidence of that fact, without proof of the number or proportion of the votes recorded in favour of, or against, such, resolution, unless, immediately on such declaration, a poll be demanded in writing on behalf of the State Bank or by at least four other shareholders present and entitled to vote at the meeting:

Provided that the Chairman of a general meeting of his own motion shall be entitled to order for a poll, instead of vote by show of hands prior to or at the time of consideration of a resolution or at any time before declaration of its result by show of hands.

(3) If a poll be duly demanded or ordered, it shall be taken either at once or at such time and location and either by open voting or by ballot as the Chairman of the meeting may direct, and the result of the poll shall be deemed to be the resolution of the meeting at which the poll was demanded. At such poll, voting shall be either in person or by proxy or by duly authorised representative, and the shareholders shall be entitled to exercise the voting rights, referred to in regulation -36.

(4) The decision of the Chairman of the meeting as to the qualification of any person to vote, and also in the case of a poll, as to the number of votes any person is competent to exercise shall be final.

33. Minutes of general meetings.-(1) Subsidiary bank shall cause the minutes of all proceedings of general meetings to be entered in books kept for that purpose.

(2) Any such minutes, if purporting to be signed by the Chairman of the meeting at which the proceedings were held, or by the Chairman of the next succeeding meeting, shall be evidence of the proceedings.

(3) Until the contrary is proved, every general meeting in respect of the proceedings whereof minutes have been so made shall be deemed to have been duly called and held, and all proceedings held thereat to have been duly held.

CHAPER -V **VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS**

34. Determination of voting rights.-(1) Subject to the provisions contained in section 19 of the Act, each shareholder of the subsidiary bank who has been registered as a shareholder for a period, of not less than three months prior to the date of a general meeting of the subsidiary bank shall be entitled to vote on every resolution placed before the meeting.

(2) Every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a company, is present in person or by proxy or who being a company is present by a duly authorised representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

35. Voting by duly authorised representative- (1) A shareholder of the subsidiary bank, being a company, may by a resolution or a power of attorney authorise any of its officials or any other person to act as its representative at any general meeting of the shareholders of the subsidiary bank and the person so authorised (referred to as a "duly authorised representative" in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the company which he represents, as if he were an individual shareholder of the subsidiary bank. The authorisation so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case anyone of such persons but not both may act as the duly authorised representative of the company.

(2) No person acting in pursuance of an authorisation given under this regulation shall be deemed to be a proxy.

(3) No person may attend or vote at any meeting of the shareholders of the subsidiary bank as a duly authorised representative of a company unless, not less than four clear working days before the date fixed for the meeting,-

(a) a copy of the resolution, appointing him as a duly authorised representative certified to be a true copy by the person presiding at the meeting at which it was passed or the chief executive officer or the, company secretary or any director or any duly authorised officer of the company, other than the duly authorised representative, shall have been deposited; or

(b) the power of attorney has been registered, during working hours, at the head office of the subsidiary bank.

(4) An appointment of a duly authorised representative shall, after the deposit of a certified copy of the resolution as aforesaid, be irrevocable for the meeting for which it is made and shall revoke any proxy previously deposited for such meeting by the company.

36. Voting by duly authorised representative precludes voting by proxy.- No shareholder of the subsidiary bank, being a company, shall vote by proxy so long as a resolution or a power of attorney referred to in regulation 35 authorising any of its officials or any other person to act its duly authorised representative at any general meeting of the subsidiary bank shall be in force.

37. Proxies.-(1) No instrument of proxy shall be valid unless in the case of an individual shareholder it is signed by him or by his attorney duly authorised in writing, or in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the share register or his attorney duly authorised in writing or in the case of a company it is executed under its common seal, if any, or signed by its attorney duly authorized in writing:

Provided that an instrument of proxy shall be deemed to be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his name, if his mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or- Sub- Registrar of Assurances, or other Government Gazetted officer or an officer of the State Bank or the subsidiary bank.

(2) No person shall be appointed as proxy unless he is entitled to attend the general meeting otherwise than as a proxy, provided that this sub-regulation shall not apply to a proxy appointed by a company.

(3) No proxy shall be valid unless it is duly dated and stamped and unless it, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or a copy of that power of authority certified by a notary public or a Magistrate or in case a power of attorney which is previously deposited and registered with the head office of the subsidiary bank, certified by the Managing Director of the subsidiary bank or any other officer of the subsidiary bank authorized by the Managing Director in this behalf, is deposited during working hours at the head office of the subsidiary bank not less than four clear working days before the date fixed for the meeting.

(4) No instrument of proxy shall be valid unless it is deposited in original in Form C of the Schedule-I to these regulations.

(5) An instrument of proxy so deposited shall be irrevocable-

(i) unless on or before the last day for the deposit of proxies there shall have been deposited at the head office of the subsidiary bank a notice in writing under the hand or common seal of the grantor specifically stating-

- (a) the name of the person in whose favour the instrument was granted; and
- (b) that such instrument is revoked; or

(ii) unless the same is deemed to be invalid under sub-regulation (6).

In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, it shall not be necessary to mention in the notice of revocation the name of the second or alternative grantee provided that the notice is otherwise sufficient to identify beyond doubt the instrument of proxy, which it is intended to revoke.

(6) If two or more instruments of proxy in respect of the same shares shall be deposited and if on or before the last day for deposit of proxies all but one of such instruments of proxy shall not have been duly revoked in accordance with the procedure laid down in sub-regulation (5), all such instruments of proxy shall be deemed invalid.

(7) The due revocation of an instrument of proxy shall in no way prevent the deposit of another valid instrument of proxy in that respect within the time specified in sub-regulation (3).

(8) The grantor of an instrument of proxy, which has become irrevocable under this regulation shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

38. Appointment of an employee of the subsidiary bank as duly authorized representative or proxy invalid.-

No person who is an officer or an employee of the subsidiary bank may be appointed as a duly authorised representative or a proxy in respect of a general meeting of the subsidiary bank.

**CHAPTER-VI
ELECTION OF DIRECTORS**

39. Directors to be elected at general meeting- (1) The election of a director by the shareholders of the subsidiary bank shall take place at a general meeting of the shareholders of the subsidiary bank.

(2) Where at any general meeting of the shareholders of the subsidiary bank an election of a director is to be held, the notice of such election shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall also specify the number of directors to be elected, and the particular vacancies in respect of which the election is to be held.

40. List of share holders- (1) For the purpose of election of a director of the subsidiary bank under clause (d) of sub-section (1) of section 25 of the Act, there shall be prepared a list of shareholders entered in the share register of the subsidiary bank.

(2) Such list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses the number and denoting numbers of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled to on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchase at least three weeks before the date fixed for the meeting at a price as may be fixed by the Board or the Executive Committee per copy from time to time, on application at the head office of the subsidiary bank.

41. Nomination of candidates for election.- (1) No candidate for election as a director of the subsidiary bank shall be validly nominated unless:-

(a) he is, on the last date for receipt of nominations not disqualified to be a director under sections 25A and 27 of the Act;

(b) the nomination is in writing signed by at least two shareholders, other than the candidate himself, qualified to vote or by their duly constituted attorneys, provided that a nomination by a shareholder which is a body corporate may be made by a resolution of the directors of the said body corporate and where it is so

made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the chairman of the meeting at which it was passed or the chief executive officer or the company secretary or any director or any duly authorised officer of the body corporate, other than the candidate himself, shall be dispatched to the head office of the subsidiary bank and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such body corporate;

(c) the nomination paper contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or other Government Gazetted officer or an officer of the State Bank or the subsidiary bank, that he accepts the nomination, and is willing to stand for election, and that he is not disqualified to be a director under sections 25A and 27 of the Act;

(d) he has paid all calls in respect of the shares of subsidiary bank held by him, if any, whether alone or jointly with others, on or before the last date fixed for the payment of the call in respect of such shares.

(2) No nomination shall be valid unless it is received, with all the connected documents or papers, in the head office of the subsidiary bank on a working day not less than fourteen clear days before the date fixed for the meeting.

42. Publications of list of candidates.- (1) On the first working day following the last date fixed for the receipt of nominations, the same shall be taken into consideration by the Managing Director. The Managing Director shall after such enquiry, if any, as he thinks necessary, satisfy himself in regard to the provisions of regulation 41 and shall accept or reject the nomination of each candidate as may appear to him to be justified, and in the case of rejection shall briefly record his reasons for doing so. The decision of the Managing Director that the nomination is valid or invalid shall, subject to the result of any reference under regulation 44, be final. If there is only one valid nomination for any particular vacancy to be filled by election, the candidate validly nominated for such vacancy shall be deemed to be elected at the meeting convened for the purpose, and his name and address shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting and if a meeting had been called solely for the purpose of the aforesaid election, the meeting shall stand cancelled. If the number of valid nominations for any particular vacancy exceeds one, the Managing Director shall cause to be published the names and addresses of candidates validly nominated for such vacancy for filing the same by election.

(2) All notices in pursuance of sub-regulation (1) shall be published in at least two daily newspapers having wide circulation in India.

(3) The Managing Director shall send a copy of every notice issued by him to the Chairman forthwith.

43. Assumption of office by the elected candidate.- A director elected to fill an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is, or is deemed to be, elected.

44. Election disputes.- (1) If any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed, or declared to be elected or as to the validity of the election of a director of the subsidiary bank, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in Writing thereof to the Chairman through the Managing Director of the subsidiary bank and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.

(2) On receipt of an intimation under sub-regulation (1), the Chairman shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee, consisting of himself and the director of the subsidiary bank nominated, pursuant to clause (b) of sub-section (1) of section 25 of the Act and one of the directors nominated pursuant to clause (c) of that sub-section of the Act.

(3) The committee shall make such enquiry as it deems necessary and decide the reference within sixty days of the receipt thereof and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared result of the election or, if it finds that the election was not a valid election, it shall make such order and give such directions including the holding of a fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.

(4) An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

CHAPTER-VII
BOARD, ITS EXECUTIVE COMMITTEE AND OTHER COMMITTEES

45. Meetings of the Board.- (1) Meetings of the Board shall be convened by the Chairman, or subject to any direction that may be given by him, by the Managing Director of the subsidiary bank, at least six times in each year and at least once in each quarter:

(2) Any three other directors not being officers of the State Bank may require the Chairman to convene a meeting of the Board at any time, and the Chairman shall, on receipt of the requisition, convene a meeting of the Board giving sufficient notice, provided that the date of the meeting so convened shall not be later than twenty one days from the date of the receipt of the requisition.

(3) Meetings of the Board shall be held at the head office of the subsidiary bank, or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting.

(4) Ordinarily not less than fifteen days notice shall be given of each meeting of the Board, and such notice shall be sent to every director at his registered address. Should it be found necessary to convene an emergency meeting, sufficient notice shall be given to every director in India to enable him to attend.

(5) No business other than that for which the meeting was convened shall be discussed at a meeting of the Board except with the consent of the chairman of the meeting and a majority of the directors present in the meeting or through video conferencing, unless one week notice has been given of the same in writing to the Managing Director.

(6) Participation of a director in a meeting of the Board through videoconferencing shall be valid only if such participation is made from any office of the subsidiary bank or State Bank as specified by the Board.

(7) Four directors, of whom one shall be the Chairman or an officer of the State Bank being a director of the subsidiary bank nominated under clause (c) of sub-section(1) of section 25 of the Act, shall form a quorum for the transaction of business.

(8) A copy, of the proceedings of each Board meeting shall be circulated as soon as possible thereafter for the information of the directors, and shall be signed by the person presiding at that or the next succeeding meeting.

46. Resolution without meeting of the Board valid.- (1) A resolution of the Board in writing signed by a majority of the directors of the Board shall be valid and effectual, and shall be deemed to be the resolution passed by the Board on the date on which it is signed by the last signatory to the resolution:

Provided that if any dissenting director within seven days of the receipt of the resolution in writing requires that any resolution so passed shall be placed before a meeting of the Board, the resolution shall not be deemed to be valid and effectual, as aforesaid, unless the same is passed at such meeting,

(2) Nothing in sub-regulation (1) shall apply to a resolution in respect of any matter relating to the making of loans or advances or the discounting or purchasing of bills by the subsidiary bank.

47. Constitution and powers of the Executive Committee.- (1) The executive committee in respect of a subsidiary bank shall consist of- (a) the Managing Director of the subsidiary bank appointed under sub-section (1) of section 29 of the Act or section 32 of the Act;

(b) three directors nominated under clause (c) of sub-section (1) of section 25 of the Act of whom not more than two shall be officers of the State Bank; and

(c) one director elected under clause (d) of sub-section (1) of section 25 of the Act:

Provided that the Chairman and the director nominated under clause (b) of sub-section (1) of section 25 of the Act may attend any meeting of the Executive Committee and the Chairman or such director shall be deemed to be a director on the Executive Committee for the meeting which he so attends.

(2) Notwithstanding anything in Sub-regulation (1) any of the directors not, referred to in that sub-regulation shall also be entitled to attend the meeting of the Executive Committee and shall be deemed to be a director on the Executive Committee for the meeting which he so attends; but he shall not be

entitled to be paid any fees for attending the meeting or be reimbursed his travelling or halting expenses in connection with the work at the meeting unless he has been specifically requested by the subsidiary bank to attend such meeting or such payment is specially authorised by the Board.

(3) The directors referred to in clauses (b) and (c) of sub-regulation (1) shall be nominated by the State Bank to serve on the Executive Committee for one year at a time.

(4) In the exercise of its powers, the Executive Committee shall be bound by such general or special directions as the Board may consistent with the Act and these regulations, give from time to time, but subject to any such direction, the Executive Committee may transact all the current business of the subsidiary bank,

(5) If any question arises, as to whether a matter relates to a current business of the subsidiary bank, the decision of the chairman of the meeting shall be final.

48. Meetings of the Executive Committee.- (1) Meeting of the Executive Committee shall be held at least once a month, sufficient notice being given to the directors on the Executive Committee to attend the meeting.

(2) Three directors present in the meeting, or through videoconferencing, of whom one shall be the Chairman, or a director being an officer of the State Bank nominated under clause (c) of sub-section (1) of section 25 of the Act, shall form a quorum for the transaction of business:

Provided that if at any time the number of directors interested or concerned within the meaning of sub-section (5) of section 34 of the Act exceeds or is equal to two, the number of the remaining directors (that is to say, the number of the directors who are not so interested or concerned) shall form the quorum during such time so however that at least two directors entitled to vote are present during such time.

(3) The provisions of the Act and, save as otherwise provided in this regulation, of these regulations shall apply to the meetings of the Executive Committee as if they were meetings of the Board including resolution passed by circulation.

49. Other committees.- (1) The constitution of other committees, the powers and functions of such committees and the conduct of business in such committees shall be such as may be laid down by the Board from time to time in relation to the subsidiary bank.

(2) The minutes of the meeting of every such committee shall be laid before the Executive Committee or the Board of the subsidiary bank as soon as possible after each meeting.

CHAPTER VIII

MANAGING DIRECTOR

50. Delegation to the Managing Director.- (1) The Managing Director shall have the power to transact all the current business of the subsidiary bank which may be transacted by the Executive Committee, if in the opinion of the Managing Director action cannot be deferred until the next Executive Committee meeting, or until the obtaining of the decision of the Executive Committee by circulation of a resolution, provided that such action shall be reported to the Executive Committee at its next meeting.

(2) Without prejudice to the foregoing power, the Managing Director shall be authorised:

(a) to exercise the powers and perform the duties entrusted, or delegated, to him by any regulation or rule made by the Board, or, by any order or resolution of the Board or the Executive Committee or by any power of attorney issued in his favour by the Board or the Executive Committee subject, in each case, to the restrictions, if any, contained in the said regulation, rule, order, resolution or power of attorney; and

(b) generally to do all such acts or things as may be incidental to, or consequential upon, the exercise of the said powers or the performance of such duties.

(3) If the office of the Managing Directors vacant, for the time being, the powers and duties of the Managing Director under sub-regulations (1) and (2) shall until a Managing Director has been appointed, be exercised or performed by such director or officer of the subsidiary bank, as the State Bank may appoint in this behalf.

CHAPTER- IX FEES AND ALLOWANCES OF DIRECTORS

51. Fees of directors.— A director not being the Managing Director or an officer of the Central Government or of the Reserve Bank or of the State Bank shall be paid fees by the subsidiary bank at the following rates namely:—

(a) for attending meetings of the Board twenty thousand rupees per meeting or revised amount as may be advised or notified from time to time by the Central Government for public sector banks and any such revised amount shall be deemed to have been substituted in place of the amount mentioned above;

(b) for attending meetings of the Executive Committee or any other committee of the Board ten thousand rupees per meeting or revised amount as may be advised from time to time by the Central Government for public sector banks and any such revised amount shall be deemed to have been substituted in place of the amount mentioned above;

(c) for attending to any other work of the subsidiary bank at such rate as may be advised from time to time by the Central Government for public sector banks or such sum as the Board may fix from time to time having regard to the nature and amount of work involved.

52. Travelling and halting allowances of directors.—(1) In addition to the fees to which a director of the subsidiary bank may be entitled under regulation 51, every such director travelling in connection with the work of the subsidiary bank shall be reimbursed his travelling and halting expenses, if any, on such basis as may be fixed by the Board from time to time.

(2) A director who is an officer of Government, the Reserve Bank, the State Bank shall be reimbursed his travelling and halting expenses in accordance with the rules applicable to him.

CHAPTER-X LOANS AND ADVANCES

53. Order under section 37 and State Bank's powers not affected.—The provisions of this Chapter shall have effect subject to—

(i) any order issued by the Central Government under sub-section(2) of section 37 of the Act;

and

(ii) any directions and instructions given by the State Bank under the provisions of the Act and these regulations.

54. Conditions and requirements as to advances, etc.— A subsidiary bank shall not—

(a) except on a specified security, discount or purchase bills or lend or advance in excess of such amount as the State Bank may fix in that behalf;

(b) discount or purchase or lend or advance on the security of any negotiable instrument of any individual or partnership firm including Joint Hindu Family firm, payable at the place where it is presented for such discount, purchase, loan or advance if it does not carry on it the several responsibilities of at least two persons or firms unconnected with each other in general partnership and each of whom is good for the amount of the negotiable instrument;

(c) discount or purchase or lend or advance on the security of any negotiable instrument or security (not being a specified security or an instrument or security in which a trustee may invest trust money under section 20 of the Indian Trusts Act, 1882) which does not mature within fifteen months from the date of such discount, purchase, loan or advance if the instrument or security is drawn or issued for the purpose of financing seasonal agricultural operations and within six months from the date aforesaid if the instrument or security is drawn or issued for any other purpose; and

(d) make a loan or advance for a period longer than twelve months except as otherwise provided in these regulations.

55. **Special provisions** -Nothing contained in regulation 54 shall apply to-

(a) accounts of customers being overdrawn to such extent, with or without security, as the State Bank may fix;

(b) the making of loans or advances to:-

(i) a district board, municipal committee or other local authority established by or under any law for the time being in force, in India for any period that may be fixed in that behalf by the State Bank;

(ii) persons engaged in, or in the financing of, hire purchase transactions, upon such security as may be approved by the State Bank in that behalf, for any period not exceeding twenty-four months; and

(iii) such person for such purposes upon such security and on such terms as the State Bank may specify from time to time:

Provided that in cases where the amount of the loan or advance exceeds one lakh rupees, the State Bank shall specify such persons, purposes, security and terms with the approval of the Reserve Bank;

(c) the making of loans or advances to, or the discounting or purchasing of negotiable instruments on behalf of or from, persons engaged in such industries, business or trade or classes of industries, business or trade" on such terms and conditions and upon such security as may be approved in that behalf by the State Bank, provided that such loans or advances are for, and such negotiable instruments mature within, periods not exceeding fifteen years;

(d) the discounting or purchase of bills, or the lending or advancing of moneys in renewal of, or in settlement or compromise of, the liabilities under or in respect of bills discounted or purchased of loans or advances made, before the appointed day.

56. **Restrictions on loans and advances by employees**-(1) No employee shall grant on behalf of the subsidiary bank any loan or advance to himself or a joint family of which he is a member or a partnership firm with which he is connected in any manner or a trust in which he is a trustee or a private or public limited company in which he holds substantial interest.

(2) Save and except against specified security or in cases as may otherwise be specified by the Board from time to time, no employee shall grant on behalf of the subsidiary bank, any loan or advance to-

(a) his relative;

(b) an individual in respect of whom a relative is a partner or guarantor;

(c) a joint family in which a relative is a member;

(d) a firm in which a relative is a partner, manager or guarantor; and

(e) a company in which a relative holds substantial interest or is interested as director, manager or guarantor.

57. **Advances to be reported to State Bank.**-(1) Any loan or advance granted or renewed or any bill discounted which makes the borrower's total indebtedness to the subsidiary bank without security or against any security exceed the amount fixed in this behalf by the State Bank shall be immediately reported to the State Bank.

(2) For the purpose of sub-regulation (1), indebtedness to the subsidiary bank shall be deemed to include the maximum drawing powers sanctioned on fluctuating accounts and the maximum limits sanctioned for the discount of documentary bills, even though the actual drawing powers or bills discounted are less than the maximum drawing powers and limits sanctioned.

58. **Advances to directors and officers of the bank.**-(1) Without prejudice to the provisions of section 20 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), save on a specified security, no loan or advance shall be made by the subsidiary bank to -

(a) any of its directors or officers holding such appointments as are specified by the Board as senior staff appointments; or

(b) to companies, firms or individuals with which or with whom such directors or officers are connected as partners, directors or managers, except on such terms and conditions as the State Bank may, on the recommendation of the subsidiary bank, specify from time to time.

(2) No loan or advance shall be granted to any officer or employee of the subsidiary bank other than those referred to in sub-regulation (1) without the specific sanction in each case of the Executive Committee of the subsidiary bank if such loan or advance is not granted in accordance with the terms and conditions approved by the Board or the Executive Committee or is not granted against a specified security.

59. Approval of the State Bank necessary to investment in shares and debentures -- Subsidiary bank shall not invest its funds in shares and debentures of any company with limited liability without the approval of the State Bank in excess of such amount and on such terms and conditions as the State Bank may specify from time to time.

60. Directors to notify the names of companies in which they are interested.- Without prejudice to the provisions of sub-section (5) of section 34 of the Act, every director shall notify, to the Managing Director, the names of the companies in which he is interested and shall also declare the fact at any time a loan or advance to any of the said companies is being considered.

61. Contracts and arrangements with interested directors.- Save as otherwise provided in the Act or these regulations, no contract or arrangement (other than any contract or arrangement by the subsidiary bank in the ordinary course of its banking business) in which a director is directly or indirectly concerned or interested shall be entered into by, or on behalf of the subsidiary bank except with the approval of the State Bank.

62. State Bank's approval may be general or specific.—Where under the provisions of this Chapter any limit has to be fixed by the State Bank or the approval of the State Bank is necessary to any proposal, arrangement or investment or to the granting of a loan or advance, or the discounting or purchase of bills, or to the terms and conditions thereof, such limit may be fixed or such approval may be given to the subsidiary bank with reference to any particular transaction or class of transactions or generally.

CHAPTER-XI MISCELLANEOUS

63. Manner and form in which contracts binding on the subsidiary bank may be executed.-
(1) Contracts on behalf of the subsidiary bank may be made as follows:-

(a) any contract which, if made between private persons, would by law be required to be in writing signed by the parties to be charged therewith, may be made on behalf of the subsidiary bank in writing signed by any person acting under its authority, express or implied, and may in the same manner be varied or discharged;

(b) any contract which, if made between private persons, would in law be valid although made by parol only and not reduced to writing; may be made by parol on behalf of the subsidiary bank by any person acting under its authority, express or implied, and may in the same manner be varied or discharged.

(2) All contracts made according to the provisions of this regulation shall be effectual in law, and shall bind the subsidiary bank and all other parties thereto and their legal representatives.

64. Accounts, receipts and documents of subsidiary bank by whom to be signed.- The Managing Director, the Chief General Managers and such other officers and employees of the subsidiary bank as the Board or the Executive Committee may authorise in this behalf by notification in the Gazette of India, to such extent and subject to such limitation if any, as the Board or the Executive Committee may specify or impose in so authorizing are hereby severally empowered for and on behalf of the subsidiary bank, to sign all documents, instruments, accounts, receipts, letters and advices connected with the current or authorised business of the subsidiary bank and, in particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, to endorse and transfer promissory notes, stock receipts, stock debentures, shares, securities and documents of title to goods, standing in the name of or held by or on behalf of the subsidiary bank or, in the absence of any agreement to the contrary, standing in the name of or held by or on behalf of any person, firm, company or corporation for or on behalf of which person, firm, company or corporation the subsidiary bank has been constituted as attorneys, to draw, accept and endorses bills of exchange and cheques, to issue, confirm and transfer letters of credit and to sign guarantees and indemnities.

65. Plaints, etc. by whom to be signed -- Plaints written statements, petitions, applications and all other pleadings may be signed and verified, affidavits may be sworn or affirmed, bonds may be signed, sealed and delivered and generally all other documents connected with legal and/or other proceedings may be made and completed on behalf of the subsidiary bank by the Managing Director or by any officer or employee empowered by or under regulation 64 to sign documents for and on behalf of the subsidiary bank.

66. Obligation to notify disqualifications of directors.-(1) If a director of the subsidiary bank becomes subject to any of the disqualifications set out in section 27 of the Act, he shall forthwith notify the fact as well as the date from which the disqualification became applicable to him, to the Managing Director of the subsidiary bank.

(2) The Managing Director shall inform the Board and the State Bank as soon as it comes to his notice that any director of the subsidiary bank has become subject to any of the disqualifications specified in section 27 of the Act.

67. The seal of the subsidiary bank -- (1) The common seal of the subsidiary bank shall not be affixed to any instrument except in the presence of at least two directors, who shall sign their names to the instrument in token of their presence, and such Signing shall be independent of the signing of any person who may sign the instrument as a witness. Unless so signed, as aforesaid, such instrument shall be of no validity.

(2) Without prejudice to the generality of sub-regulation (1) the common seal of the subsidiary bank may be affixed to instruments of the following descriptions in connection with the business of the subsidiary bank, namely:-

(a) leases of office premises, godowns, houses and other property required in connection with the business of the subsidiary bank and surrenders and transfers of such leases;

(b) conveyances of property bought or sold by the subsidiary bank;

(c) instruments whereby any property is mortgaged to the subsidiary bank, conveyances on sale or by way of transfer of mortgage and re-conveyances, surrenders and leases of such property;

(d) powers of attorney granted by the subsidiary bank;

(e) contracts of indemnity, surety-ship or guarantee with specific security or otherwise; and

(f) instruments of appointment or discharge of the subsidiary bank as trustee of any trust or connected with the administration of any estate in which the subsidiary bank is concerned as executor, trustee or otherwise.

68. Service of notices to shareholders.-(1) Save as otherwise provided in these regulations, a notice may be given by the subsidiary bank to any shareholder either personally or by serving it on him at his registered address by post or by any other mode approved by the subsidiary bank, or by electronic mail to those shareholders who opt to receive such notice by electronic mail and furnished their e-mail address with the subsidiary bank.

(2) Any notice required to be given by the subsidiary bank to the shareholders or any of them and not expressly provided for by these regulations, shall be sufficiently given if given by advertisement.

(3) Any notice sent under sub-regulation (1) shall be deemed to have been served on the third day following that on which the envelope or wrapper containing the same is sent, and in proof of such service it shall be sufficient to prove that the envelope or wrapper containing the notice was properly addressed, prepaid and put into transit, and a certificate in writing signed by an employee of the subsidiary bank that the envelope or wrapper containing the notice was so addressed, prepared and sent shall be conclusive evidence thereof. Any notice given by advertisement shall be deemed to have been given on the day on which the advertisement first appeared.

(4) Any notice given in accordance with the foregoing provisions shall be deemed to have been duly given notwithstanding that the shareholder be then deceased and whether or not the subsidiary bank had notice of his death and shall in that event be deemed to be a notice to his legal representative.

(5) All notices with respect to any registered shares to which persons are jointly entitled shall be given to whichever of such persons is named first in the register and the notice so given shall be sufficient notice to all the holders of said shares.

(6) The signature to any notice to be given by the subsidiary bank may be written, typed or printed,

69. Service of notice by shareholders on the subsidiary bank.- A notice shall be served on the subsidiary bank by serving it under due acknowledgment, or sending it by registered post to the head office of the subsidiary bank.

70. Payment of dividend -- (1) An account of the profits of the subsidiary bank shall be taken as on the thirty-first day of March every year and a dividend, if any, shall be declared and paid, as soon as may be convenient, thereafter. The Board may from time to time declare and pay or authorise the payment of such interim dividends as appear to it to be justified.

(2) No dividend shall carry interest as against the subsidiary bank.

(3) Anyone of several persons who are registered as joint holders of any share may give effectual receipts for all dividends in respect of such share.

(4) Dividend shall be paid by cheque or warrant on the head office of the subsidiary bank and shall be sent through post to the registered address of the shareholder entitled, or in the case of joint holders to the registered address of the one whose name stands first on the register in respect of the joint holding and every cheque or warrant so sent shall be made payable to the order of the person to whom it is sent.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (4), the subsidiary bank may make payment of dividend or interim dividend to any person entitled thereto under the Act or these regulations, either by direct credit to the bank account of such person or by electronic payment system or by any other mode of electronic fund transfer recognised by the Reserve Bank.

(6) The subsidiary bank shall not make payment of a dividend to any person not entitled thereto under the Act or these regulations, but shall retain the same and make payment thereof to the person who next becomes registered in respect of the shares on which such dividend is payable, and is not disentitled under the Act or these regulations to receive it.

71. Saving clause.- Notwithstanding the supersession of the Subsidiary Banks General Regulations, 1959 and subject to the provisions in these regulations any notification, order, rules, schemes, forms, circulars, instructions, authorisation made or issued, given or done under the said regulations continue to be in force and have effect as if issued, given, made or done under the corresponding provisions of these regulations.

Schedule -I

Form A'

{See sub-regulation (1) of regulation 17}

Nomination form

(Separate nomination form should be submitted for each folio by individual applying singly or jointly)

I/We.....⁽¹⁾ and.....⁽¹⁾ and
⁽¹⁾ the holders of shares under Folio number⁽²⁾ of
 State Bank of wish to make a nomination and do hereby nominate the following
 person in whom all rights of transfer and/or amount payable in respect of the shares held
 under the aforesaid Folio Number shall vest in the event of my death /death of all joint holders.

NAME AND ADDRESS OF NOMINEE

Name⁽³⁾ :

.....

Address⁽⁴⁾ :

.....

.....

Foot Note :-

⁽¹⁾ Name of shareholder(s).

⁽²⁾ Folio Number.

⁽³⁾ Full name of nominee in capital letters.

⁽⁴⁾ Complete permanent address of nominee.

Date of birth *:

.....

[*To be furnished in case the nominee is a minor]

** The Nominee is a minor whose guardian is:

Name ⁽⁵⁾

and

Address :

.....

.....

.....

[** to be deleted if not applicable]

Signature of share holder

(First / Sole holder)

Name

Address

.....

.....

Date.....

Signature of share holder (Second holder).....

Name

Address

.....

.....

Date.....

Signature of share holder (Third holder).....

Name

Address

.....

.....

Date.....

Name, Signature and Address of two witnesses :

Signature of first witness.....

Foot Note :-

⁽⁵⁾Name and address of guardian of minor.

Name

Address

.....

.....

Date.....

Signature of second witness.....

Name

Address

.....

.....

Date.....

Form 'B'

{See sub-regulation (6) of regulation 17}

Form for variation or cancellation of nomination

I/We.....⁽¹⁾ and.....⁽¹⁾ and
⁽¹⁾ the holders of shares under Folio number⁽²⁾ of
 State Bank of wish to cancel the nomination and do hereby cancel the
 nomination made by me/us in favour of⁽³⁾ and nominate the following
 person in whom all rights of transfer and / or amount payable in respect of the shares held
 under the aforesaid Folio Number shall vest in the event of my death /death of all joint holders.

NAME AND ADDRESS OF NOMINEE

Name⁽⁴⁾ :

.....

Address⁽⁵⁾ :

.....

.....

Date of birth *:

.....

*[*To be furnished in case the nominee is a minor]*

** The Nominee is a minor whose guardian is:

Name⁽⁶⁾

and

Address :

.....

.....

.....

[** to be deleted if not applicable]

Signature of share holder

(First / Sole holder)

Name

Address

.....

.....

Date.....

⁽¹⁾ Name of shareholder(s).⁽²⁾ Folio Number.⁽³⁾ Full name of previous nominee.⁽⁴⁾ Full name of new nominee in capital letters.⁽⁵⁾ Complete permanent address of new nominee.⁽⁶⁾ Name and address of guardian of minor.

Signature of share holder (Second holder).....

Name

Address

.....

.....

Date.....

Signature of share holder (Third holder).....

Name

Address

.....

.....

Date.....

Name, Signature and Address of two witnesses :

Signature of first witness.....

Name

Address

.....

.....

Date.....

Signature of second witness.....

Name

Address

.....

.....

Date.....

Form 'C'**Form of proxy**

[See sub-regulation (4) of regulation 37]

STATE BANK OF HYDERABAD

folio Number

(To be filled in by the shareholder)

I/We, resident of of in the district of in the state of being a shareholder / shareholders of the State Bank of.....* holding shares Numbers on the share register at Do hereby appoint resident of in the district of in the state of or failing him resident of in the district of in the state of as my/our proxy to vote for me / us and on my/ our behalf at a meeting of the shareholders of the State Bank of * to be held at on the day of of and at any adjournment thereof.

Signed this day of, ...

Signature

Affix Proper Stamp

*Here enter the name of the subsidiary bank.

Schedule- II

[See regulation 2(i)]

1. Spouse;
2. Father;
3. Mother (including step-mother);
4. Son (including step-son);
5. Son's wife;
6. Daughter (including step-daughter);
7. Daughter's husband;
8. Brother (including step-brother);
9. Brother's wife;
10. Sister (including step-sister);
11. Sister's husband;
12. Brother (including step-brother) of the spouse;
13. Sister (including step-sister) of the spouse.

SANTANU MUKHERJEE, Managing Director

[ADVT. III/4/Exty./123/15 (269)]